भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तरांचल, देहरादून।
के
अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तरांचल, देहरादून के विभागीय संरचना का शासनादेश सं0 2584/औ0वि0/147–ख, दिनांक 3 दिसम्बर 2001 के द्वारा जारी किया गया था जिसमें तकनीकी व गैर तकनीकी पद समाविष्ट हैं। विभाग का मुख्य कार्य प्रदेष में खनिजों का अन्वेशण कर खनिज क्षेत्रों को चिन्हित करना उनका मूल्यांकन करना तथा पर्यावरणीय सुरक्षा को दृश्टिगत रखते हुए खनिजों के विदोहन हेतु तकनीकी परामर्श देना। उपरोक्त कार्यों के निष्पादन हेतु प्रत्येक वर्श के माह जून/जुलाई में राज्य भूवैज्ञानिक कार्यकयी परिषद की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें वर्ष भर में सम्पादित कराये जाने वाले खनिजों के अन्वेषण कार्यो को अन्तिम रूप दिया जाता है ।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के मुख्य कार्य

1. खनिज अन्वेषणः खनिज अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधात्विक/धात्विक खनिजों एवं इमारती पत्थरों के सर्वेक्षण कार्य किये जाते हैं। प्रश्नगत क्षेत्र का पता लगाने हेतु रिकगनएशन सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है । इसके उपरान्त आशातित प्ररिणम की प्राप्ति होने पर क्षेत्र में विस्तृत मानचित्र तैयार करना, भूमिगत खनिज आंकलन हेतु वेधन कार्य, ट्रेंचिगं–पिटिंग कार्य से सतह के निकट खनिज का आकार व प्रकार अवलोकित किया जाता है। तद्पोरान्त समस्त परिक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर खनिज के भण्डार का आंकलन गुणवत्ता एवं वाणिज्यिक उपयोग को निर्धारित किया जाता है

2. भू–अभियॉन्त्रिकी कार्यः भू–अभियॉन्त्रिकी कार्यो के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य की जटिल भूगर्भीय संरचना को दृष्टिगत रखते हुए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन एवं पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के विकास में निर्माण कार्यो से सम्बन्धित योजनाओं में भूमि की उपयुक्तता एवं स्थायीत्व परीक्षण हेतु स्थलों का भूगर्भीय अवलोकन किया जाता है।

3. खनिज प्रशासनः खनिज प्रशासन के अन्तर्गत मुख्य खनिज एवं उपखनिज क्षेत्रों की तकनीकी जॉच आख्या जिला प्रशासन एवं शासन को उपलब्ध करायी जाती है, जिसके आधार पर मुख्य

खनिज एवं उपखनिज के पट्टे/परमिट/प्रा0ला0 शासन द्वारा परिहार स्वीकृत किये जाते है। खनिज परिहार धारक वैज्ञानिक व पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए खनन कार्य

राजस्व–विगत छः वर्षो का राजस्व प्राप्ति का ब्यौरा

वर्ष		कुल राजस्व **(करोड़ में** रू0 में)
2007–08	–	72.32
2008–09	–	61.72
2009–10	–	72.3
2010–11	–	90.24
2011–12	–	112.39

दिनांक 30 जुलाई, 2003 को उत्तरांचल की प्रथम खनिज विकास एवं प्रबन्धन बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें इमारती पत्थर के अन्वेषण पर बल दिया गया तदोपरान्त कुछ इमारती पत्थरों के भण्डारो का पता लगाने हेतु खनिज अन्वेषण हेतु गढवाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल, दो दलों का गठन किया गया। वर्ष 2005–06 हेतु खनिज अन्वेषण कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित किया जाने हेतु भूवैज्ञानिक कार्यकरयी परिषद की बैठक का आयोजन दिनांक 28–06–2005 को सम्पन्न कर लिया गया है।

उपलब्ध खनिजों के भण्डारण/निकासी व विदोहन हेतु केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित अधिनियम/शासनादेश जिसमें नीति के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रपत्र इत्यादि समाविष्ट हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :–

अधिनियम एवं नियमावलियां

1. खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम–1957
2. खनिज परिहार नियमावली 1960 (M.C.R. 1960)
3. उत्तरांचल उपखनिज परिहार नियमावली 2001
4. संशोधित खनिज नीति –2001
5. उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2005
6. उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011
7. उत्तराखण्ड के ''पर्वतीय क्षेत्र'' हेतु स्टोन क्रेशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर नीति, 2011
8. उत्तराखण्ड के ''मैदानी क्षेत्र'' हेतु स्टोन क्रेशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर नीति, 2011
9. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (यथा संशोधित/परिवर्द्धित) 2011

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त अधिनियम व नियमावली के अर्न्तगत प्राविधानित नियमो के आधार पर मुख्य खनिज एवं उप खनिजों के प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस/खनन पट्टा एवं उप खनिजों के खनन अनुज्ञा पत्र निष्पादन का कार्य संलग्न प्रारूपों के अनुसार किया जाता है।

अनुमोदित खनन योजनानुसार ही कार्य करें, के नियन्त्रण हेतु समुचित कार्यवाही इकाई द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राजस्व के ऑकडों का संकलन भी किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य में मुख्य खनिजों के भण्डार निम्नानुसार अनुमानित किये गये हैं।

1. लाईमस्टोन	9500 लाख टन	जनपद, देहरादून, टिहरी गढवाल पिथौरागढ।
2. डोलोमाईट	2000 लाख टन	जनपद, देहरादून, टिहरी गढवाल, पिथौरागढ।
3. मैग्नासाईट	1800 लाख टन	बागेश्वर, पिथौरागढ, चमोली।
4. सोपस्टोन	1600 लाख टन	अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ, चमोली।
5. फस्फोराईट	200 लाख टन	देहरादून, टिहरी गढवाल।
6. बेसमेटल्स् (सीसा, तॉबा, जस्ता)	100 लाख टन	अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौडी गढवाल, टिहरी गढवाल, पिथौरागढ।
7. बेराईट	आंकलन नहीं	देहरादून।
8. सिलीकासैण्ड	.....तदैव.....	उत्तरकाशी।
9. ग्रेफाईट	.....तदैव.....	अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढवाल।
10. स्लेट	.....तदैव.....	उत्तरकाशी, पिथौरागढ, नैनीताल।
11. मारबल	.....तदैव.....	देहरादून।
12. नदी तल के उपखनिज क्षेत्र	.....तदैव.....	उत्तरांचल के सभी नदियों में

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तरांचल, देहरादून में रसायन प्रयोगशाला स्थापित है जिसमें लाइम स्टोन, डोलोमोईट, मैग्नेसाईट, सोपस्टोन, क्वार्टज, क्ले एवं फेल्सपार इत्यादि खनिजों के रासायनिक विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध है । यदि किसी उद्यमी को अपने खनिज नमूनों का रासायनिक विश्लेषण करवाना हो तो शासनादेश सं0 1892/सात–औ0वि0/76–ख/2005, दिनांक 15 जून, 2005 (संलग्न) में उल्लिखित विश्लेषण की दरों पर उनके खनिज नमूनों का विश्लेषण किया जा सकता है ।

3.2 वर्तमान में उत्तराखण्ड में मुख्य तथा उपखनिजों का खनन कार्य क्रमशः स्वस्थाने किस्म के चट्टानों तथा नदी तल क्षेत्रों में किया जा रहा है। मुख्य खनिज जैसे सोपस्टोन व मैग्नेसाईट का खनन जनपद बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली आदि में किया जाता है तथा उपखनिज जैसे ईमारती पत्थर, बोल्डर, साधारण बालू, बजरी, कंकड़, लाईमस्टोन आदि का खनन भी उत्तराखण्ड

के अधिकांश जनपदिय क्षेत्रों में किया जाता है। वर्तमान में जनपद बागेश्वर में सोपस्टोन खनिज के 15 (पन्द्रह) प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस तथा 50 (पच्चास) खनन पट्टे तथा मैग्नेसाईट, डोलोमाइट आदि खनिज का 03 खनन पट्टा कार्यरत हैं, जनपद अल्मोड़ा में सोपस्टोन खनिज के 2 (दो) खनन पट्टे, जनपद पिथौरागढ़ में सोपस्टोन खनिज के दो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, सोपस्टोन खनिज के 14 (चौदह) खनन पट्टे, मैग्नेसाईट के 4 (चार) खनन पट्टे कार्यरत हैं। जनपद चमोली में सोपस्टोन डोलोमाइट, मैग्नेसाइट के 01 (एक) खन्न पट्टा कार्यरत है। जनपद टिहरी गढ़वाल में लाइमस्टोन उपखनिज के 06 (छः) खनन पट्टे कार्यरत हैं । जनपद देहरादून में लाइमस्टोन (उपखनिज) का 01 (एक) खनन पट्टा तथा साधारण बालू, बजरी, बोल्डर के 89 खनन लॉट कार्यरत है। जनपद हरिद्वार में साधारण बालू, बजरी, बोल्डर के 20 लॉट कार्यरत है।

क्रम सं0	खनिज का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	जनपद का नाम
1.	सोपस्टोन	2013.97	बागेश्वर
2.	मैग्नेसाईट	429.09	बागेश्वर
3.	सोपस्टोन	15.40	अल्मोड़ा
4.	सोपस्टोन	247.89	पिथौरागढ़
5.	मैग्नेसाईट	1155.76	पिथौरागढ़
6.	सोना, तॉबा, सीसा, जस्ता, आदि	1958.71	पिथौरागढ़
7.	सोपस्टोन	85.38	चमोली
8.	मैग्नेसाईट	10.71	चमोली
9.	लाइमस्टोन	68.60	टिहरी गढ़वाल
10.	लाइमस्टोन	0.37	देहरादून

3.3 सोपस्टोन खनिज रसायन, दवाईयां, सौन्दर्य प्रसाधन, रबर उद्योग, पेंट उद्योग, कागज उद्योग आदि उद्योगों में उपयोग में आता है। मैग्नेसाईट खनिज डेड वर्नट ब्रिक्स् बनाने तथा बलास्ट फर्नेस आदि उद्योगों में उपयोग में आता है। लाइमस्टोन खनिज सीमेंट उद्योग, चूना भट्टा, स्टील उद्योग, कॉच उद्योग, चीनी उद्योग आदि अन्य उद्योगों में उपयोग में आता है।

4.3.1 उत्तरांचल में उपखनिजों तथा मुख्य खनिजों के खनिज परिहार क्रमशः उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली –2001 तथा खनिज परिहार नियमावली–1960 के प्राविधानों तथा उत्तरांचल के खनिज नीति के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत किये जाते है। उप खनिजों के खनन अनुज्ञा पत्र अधिकतम् छः माह हेतु तथा खनन पट्टे अधिकतम् 15 (पन्द्रह वर्ष) वर्ष के लिए स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

उपखनिजों हेतु नियमावली–2001 के नियम–6 के अन्तर्गत प्रपत्र एम.एम.–1 पर खनन पट्टे हेतु तथा नियम–52 के अन्तर्गत प्रपत्र एम.एम. 8 पर आवेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार खनिज परिहार नियमावली–1960 के नियम–4 के अन्तर्गत रिकोन्सीनेस परमिट हेतु प्रपत्र ''ए'' पर, नियम–9 के अन्तर्गत प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस हेतु प्रपत्र– ''बी'' पर तथा खनन पट्टे हेतु प्रपत्र– ''आई'' पर आवेदन किया जा सकता है । सभी प्राप्त आवेदन पत्रों पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यक जॉच उपरान्त संस्तुति शासन के निर्णय हेतु भेजी जाती है तथा गुणावगुण के आधार पर शासन द्वारा आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाता है।

खनिज परिहार आवेदन शुल्कः–

खनिज परिहार	आवेदन शुल्क
खनन अनुज्ञा पत्र	रू0 400.00
उप खनिज खनन पट्टा	रू0 3000.00
रिकोनेसनस परमिट	रू0 5.00 प्रति वर्ग किमी0 (वापस नहीं होगी)
प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस	रू0 250.00 प्रथम वर्ग किमी0 अथवा उसके भाग के लिए तथा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग किमी के लिए रू0 50.00
मुख्य खनिज खनन पट्टा	रू0 3500.00

4.3.2 इकाई द्वारा राजस्व वसूली सम्बन्धी कोई कार्य नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न जिलाधिकारियों स्तर से राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है । निम्न खनिज लेखार्शीसकों के अर्न्तगत राजस्व जमा कराया जाता है :–

0853– अहौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग।

102 खनिज रायल्टी एवं स्वत्व शुल्क।

01– खनिज रियायती शुल्क एवं स्वत्व शुल्क ।

4.3.3 खनन गतिविधियों के दौरान विषेले वायु, धूलीकरण आदि उत्पन्न होता है जो खननकार्य में लगे व्यक्तियों के लिये हानीकारक होता है। इसी प्रकार मशीनों जैसे, ड्रील्स, ट्रेमवेज (Tramways) डंपरर्स, लोडर्स (Loaders) आदि से भी दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। खान में भाग, पानी का भराव, गैस के विस्फोट तथा जहरीली मोथेन गैस के रिसाव का खतरा बना रहता है। अतः इस कारण खान में सुरक्षा के उपाय अत्यन्त आवश्यक है।

सुरक्षा सामग्री की सूची :

हैलमेट, माइनिग शूज, हैण्ड ग्लोवज, चश्मा, सेफटी लैम्प, विस्फोट से बचने हेतु शेलटर (Shelter) खानों में कार्यरत मजदूरों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों को Mines Rules प्राविधानों के अन्तर्गत समय–समय पर चिकित्यकीय परीक्षण किया जाता है एवं रोगी व्यक्तियों की चिकित्सा सुनिश्चित की जाती है। Mines Uocational Training Rules के प्राविधानों के अन्तर्गत Safety measure awareness वार्षिक सेफ्टी वीक के आयोजन कर इस सम्बन्ध में जानकारी खान मजदूरों को दी जाती। इकाई द्वारा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कोई योजना नहीं चलाई जाता है एवं न ही कोई प्रशिक्षण किया जाता है क्योंकि इकाई द्वारा प्रत्यक्ष रूप कोई खनन गतिविधियां नहीं की जाती है।

4.3.4 अवैध खनन, परिवहन अथवा भण्डारण के निवारण हेतु उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण का निवारण) नियमावालि 2005 जारी की गयी है। अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु उक्त नियमावली के अन्तर्गत बिना अभिवरण पास के खनिज परिवहन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार खनिज भण्डारण हेतु भी जिलाधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। नियमावली के उल्लंघन पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–21 (1) एवं (2) के अन्तर्गत अवैधकर्ताओं को दण्डित किया जाता है। इसी प्रकार अवैधकर्ता पर न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा सकता है। वर्तमान में खनिज परिवहन की जॉच हेतु जॉच चौकियों/धर्मकांटों के स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन स्तर पर जारी है।

5.1.1 रिकोनिसंस का तात्पर्य यह है कि, किसी राष्ट्र में अथवा प्रदेश में खनिजों का प्रारंम्भिक सर्वेक्षण/वृहत पैमाने पर खनिजों के सर्वेक्षण का कार्य किया जाना । रिकोनेसंस परमिट हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी के कार्यालय में फार्म– । में आवेदन किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ निम्न शुल्क तथा कागजात संलग्न करना आवश्यक है :–

1. रू0 5.00 (रू0 पॉच मात्र) प्रति किमी का वापिस नहीं किये जाने वाला शुल्क।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी का खनन अदेयता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर अथवा इस आशय का नियमानुसार शपथ पत्र यदि निजी कम्पनी है अथवा पार्टनरशिप फर्म है तो, सभी हिस्सेदारों द्वारा प्रमाण–पत्र देय होगा। यदि इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है कि आवेदक के पास न तो कोई खनिज परिहार स्वीकृत है एवं नहीं कभी स्वीकृत था, तो उस दशा में खनन अदेयता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।
3. आयकर अदायगी सम्बन्धी नियमानुसार शपथ–पत्र ।
4. राज्य में रिकोनेसंस परमिट स्वीकृति विषयक विवरण सम्बन्धी आवेदक का नियमानुसार शपथ–पत्र।

रिकोनेसंस परमिट आवेदन पत्र तीन माह के अन्दर Process किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतो का निस्तारण तुरन्त किया जायेगा।

संख्याः 1031/औ0वि0/2001

प्रेषक,

श्री दया राम,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग देहरादून दिनांक 30 अप्रेल–2001

विषयः उत्तरांचल राज्य खनिज नीति–2001

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध खनिजों का दोहन आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा सुनिश्चित करने, पर्यावरण का संरक्षण एवं खनिज क्षेत्रों की पुर्नस्थापना करने, खनिज भण्डारों का आधुनिक तकनीक द्वारा विस्तृत अन्वेषण का कार्य करने तथा खनिजों के दोहन एवं चुगान के कार्यों में माफियाओं के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य खनिज नीति 2001 प्रख्यापित की गयी है। अतः उत्तरांचल राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मानव संसाधनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णयों को चरणवद्ध व समयवद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

मुख्य खनिजः

मुख्य खनिजों का विकास एवं विनियमन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धाराओ एवं खनिज परिहार नियमावली–1960 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। उक्त अधिनियम व नियमावली भारत –सरकार द्वारा प्रवृत्त की गई है। उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग–ए एव बी में स्पेसिफाइड मिनरल्स अंकित है, जिसकी रिकोनोइसंस परमिट/पी0एल0/एम0एल0 पर स्वीकृत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा भारत–सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। अन्य मुख्य खनिज, जो उक्त अधिनियम के द्वितीय अनुसूची में अंकित है, को रिकोनईसस/पी0एल0/एम0एल0 पर स्वीकृत करने के लिए राज्य–सरकार द्वारा भारत सरकार से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रदेश के अन्तर्गत सतही एवं भूगर्भ में पाये जाने वाले खनिज प्रदेश की सम्पत्ति होती है तथा सतही अधिकार प्रदेश में निहित है, इसलिए खनिज पर देय रायल्टी प्रदेश सरकार द्वारा ही वसूल की जायेगी। मुख्य खनिजों के सुनियोचित विकास के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

1– शासन द्वारा सचिव, औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया जायेगा। कार्यकारी दल द्वारा मुख्य खनिजों के खनन में अपनायी जा रही तकनीक, उनका पर्यावरण पर प्रभाव तथा खनन से सम्बन्धित प्रचलित कार्यप्रणाली को व्यवहारिक बनाने के

सम्बन्ध में उपाय एवं सुझाव तैयार कराये जायेगें । कार्यकारी दल के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत–सरकार को मुख्य खनिजों के खनन से सम्बन्धित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 के सम्बन्ध में सुझाव देने का भी होगा।

2– मुख्य खनिजों के खनन हेतु निजी क्षेत्र के ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिनके पास यह कार्य करने हेतु प्रर्याप्त पूंजी एवं आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो।

3– खनिज युक्त क्षेत्रों में अवस्थापना की सुविधा उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकार द्वारा खनिज स्टेट स्थापित किये जायेगें।

4– खनिज विकास एवं अन्वेषण कार्यो के लिए खनिज विकास निधि की स्थापना की जायेगी। मुख्य खनिजों के खनन से प्राप्त रायल्टी का 5 प्रतिशत इस निधि में जमा किया जायेगा।

5– खनिज के परिहार, खनिज पर आधारित उद्योग तथा खनिज सम्बन्धी अन्वेषण कार्य को सुगम बनाने हेतु खनिज निदेशालय में एकल मेज व्यवस्था (सिंगल विंडो सिस्टम) की स्थापना की जायेगी।

6– निम्न श्रेणी, सीमांत श्रेणी, खनन मलवा एवं खनिज आधारित उद्योगों के सह–उत्पादों को उपयोग में लाने का यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा।

<u>उप–खनिज :</u>

वर्तमान में वन क्षेत्रों के बाहर उपखनिजों का खनन/चुगान का कार्य मुख्य रूप से निजी पट्टधारकों के द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसा अनुभव किया गया है कि इस प्रक्रिया के अर्न्तगत धीरे–धीरे खनन एवं चुगान आदि कार्यो में एकाधिकार बढ़ता जा रहा है। इस प्रक्रिया पर अंकुश लगाने के लिए तथा उप खनिजों का दोहन आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा करने हेतु उप खनिज के खनन व चुगान का कार्य शासकीय नियमों या विभागों द्वारा ही कराया जाये।

वन क्षेत्रों में वनों के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए खनिजों के खनन एवं चुगान का कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम के माध्यम से कराया जायेगा। निगम द्वारा यह कार्य स्वंय किया जायेगा तथा किसी को सबलेट नहीं किया जायेगा।

वन क्षेत्र के बार सिविल क्षेत्रों में उप–खनिजों के खनन एवं चुगान का कार्य सरकारी नियमों/सरकारी विभागों/कानूनी निगमों द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु इन संस्थाओं को आयोजनेत्तर पक्ष में कोई भी अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी तथा उनके द्वारा कोई अतिरिक्त दायित्व भी सृजित नहीं किया जायेगा।

यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में सरकारी निगमों एवं शासकीय विभागों द्वारा उपखनिज के खनन/ चुगान के कार्यो को निष्पादित करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है या वे शासन द्वारा इस कार्य में अक्षम पाये जाते हैं, तो इन परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप यह कार्य निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को पट्टे के आधार पर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगाः–

1–सर्वप्रथम छोटे आकार के लॉट्स बनाये जायेंगे।

2–किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक लॉट् का पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3–पट्टा हेतु जनपद के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

4–यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पट्टे हेतु आवेदन करने वाला व्यक्ति अपराधिक प्रवृत्ति का न हो। निवास एवं चरित्र सम्बन्धी प्रमाण–पत्र जिला प्रशासन से प्राप्त किया जायेगा।

मैदानी क्षेत्र, विकासनगर, देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश, हल्द्वानी, उधमसिंहनगर, हरिद्वार को छोड़कर शेष पर्वतीय क्षेत्रों में जिलाधिकारियों को निम्न अधिकार दिये जायेंः–

1– निजी भवनों के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार स्थानीय लोगों को निर्धारित दर पर निःशुल्क अधिकतम् 150 घनमीटर तक बोल्डर, बजरी, रेत आदि का परमिट दिया जायेगा।

उप–खनिजों की रायल्टी के सम्बन्ध में सम्प्रति सामान्य आंकलन के आधार पर वर्तमान में प्रचलित दरों में 20 प्रतिशत की बढोत्तरी की जायेगी। रायल्टी को अंतिम रूप से निर्धारण विभिन्न बिन्दुओं पर विचारोपरांत तकनीकी दृष्टिकोण से प्रशासनिक दृष्टिकोण से एवं राजस्व हित को देखते हुए किया जायेगा। और तद्नुसार निर्णयोपरांत शासनादेश शीघ्र ही निर्गत कर दिया जायेगा । वन विकास निगम एवं अन्य सरकारी विभाग/निगम, जो उप खनिजों के खनन के कार्य के लिए अधिकृत होंगे, वे प्राप्त राजस्व की सूचना हर माह खनिज निदेशालय को उपलब्ध करायेगें। प्रश्नगत् निगम/विभाग रायल्टी पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

उप खनिजों के खनन से प्राप्त राजस्व का 5 प्रतिशत धनराशि को खनिज निधि में इस उद्देश्य से रखा जायेगा, जिसका उपयोग उप खनिजों के खनन क्षेत्रों में भू–भाग पुनर्स्थापना हेतु किया जायेगा।

उप खनिजों के चुगान/खनन की संक्रियाये उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली–2001 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, और कृत कार्यवाही से समय–समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट

भवदीय,

(दया राम)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1031/औ0 वि0/2001 तद्दिनांक :
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–सभी सरकारी निगमों के प्रबन्ध निदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तरांचल।
3– नोडल अधिकारी/उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।
4– प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(दया राम)
अपर सचिव

संख्या 3498/औ0 वि0–22–ख/2001

प्रेषक,

श्री एस0 कृष्णन,
प्रमुख सचिव,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास देहरादूनः दिनांक अक्टूबर 17, 2002

विषयः खनिज नीति 2001 में संशोधन।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध खनिजों का दोहन आधुनिक विधि द्वारा सुनिश्चित करने, पर्यावरण का संरक्षण एवं खनिज भण्डारों का आधुनिक तकनीकी से विस्तृत अन्वेषण का कार्य करने के साथ ही साथ उप खनिजों के खदान/चुगान कार्यो में एकाधिकार समाप्त किये जाने के उद्देश्य से खनिज नीति–2001 दिनांक 30–4–2001 प्रख्यापित की गयी थी।

2– राज्य की खनिज नीति 2001 के पुनरावलोकन की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए नीति का विस्तृत परीक्षण पर्यावरण संरक्षण, राजस्व प्राप्ति, उपभोक्ताओं तथा निर्माण संस्थाओं को उप–खनिजों की उचित मूल्य पर सहज उपलब्धता तथा स्थानीय व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य को संज्ञान में रखते हुए किया गया । राज्य की वर्तमान खनिज नीति को अधिक प्रभावशाली एवं विकासोन्मुखी बनाये जाने के परिपेक्ष्य में राज्य में उपलब्ध उप–खनिज सम्पदा को खदान/चुगान कराये जाने हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

2.1 उप खनिजों से आच्छादित खनन क्षेत्रों में एकाधिकार की सम्भावनाओं को समाप्त करने एवं खदान/चुगान का कार्य पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुये वैज्ञानिक विधि से सुनिश्चित करने हेतु यह कार्य गत वर्ष की भांति सरकारी निगमों द्वारा ही कराया जायेगा।

2.2 यथासम्भव सरकारी निगमों को नदीवार खदान/चुगान के पट्टे स्वीकृत किये जायेगें ताकि इस कार्य में बेहतर समन्वय एवं नियन्त्रण सुनिश्चित हो सके। इस हेतु जनपद देहरादून के समस्त क्षेत्रों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा तथा गोला नदी के समस्त क्षेत्रों में उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा उप–खनिजों का खदान/चुगान किया जायेगा। परन्तु जनपद हरिद्वार में उप–खनिज बाहुल्य क्षेत्र की अधिकता के कारण वन क्षेत्र में उप–खनिजों का खदान/चुगान उत्तरांचल वन विकास निगम एवं राजस्व क्षेत्रों मे उप खनिजों के खदान/चुगान का कार्य गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

2.3 खनिज नीति–2001 के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों की श्रेणी में से कतिपय छूटे हुए स्थानों तथा टनकपुर (शारदा), रामनगर, कोटद्वार, सतपुली एवं श्रीनगर (अलकनन्दा) मैं भी उपयुक्त निगम के माध्यम से खदान चुगान की व्यवस्था की जायेगी। सम्बन्धित जिलाधिकारी इन नदियों/क्षेत्रों तथा इस प्रकार के यदि कोई नदियां/क्षेत्र हों, के सम्बन्ध में वन विकास निगम/गढ़वाल मण्डल विकास निगम/ कुमायूं मण्डल विकास निगम के अधिकारियों से विचार विमर्श के उपरान्त तुरन्त प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेंगे।

2.4 पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की विभिन्न नदियों के छोटे–छोटे लाटों मे जहां उप–खनिजों का खदान/चुगान होता था/हो सकता है, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम –1980 के अन्तर्गत अनुमति न मिलने के कारण संभव नहीं हो रहा है, के जनपदवार समग्र प्रस्ताव सम्बन्धित निगमों या उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संद्य द्वारा तैयार कर जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित किये जायेंगे। इस प्रकार भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत चुगान की अनुमति प्राप्त होने पर उक्त क्षेत्रों में चुगान का कार्य सरकारी निगम/उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संद्य स्वंय करेंगे। यदि किन्हीं परिस्थितियोंवश उपरोक्त संस्थायें उक्त कार्य स्वंय करने में असमर्थ हों तो यह कार्य उपरोक्त संस्थाओं की देख–रेख में स्थानीय व्यक्तियों/संस्था से कराये जाने की वैकल्पिक व्यवस्था शासन की अनुमति से सुनिश्चित करेंगे।

2.5 उपरोक्त प्रस्तर 2.2 एवं 2.3 के अतिरिक्त निजी नाप भूमि पर अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में जिला स्तर से उप–खनिजों के खदान/चुगान के पट्टे/अल्पावधि के खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2.6 उप–खनिजों के दुरूपयोग तथा राजस्व की क्षति रोकने के उद्देश्य से स्टोन क्रशर्स में आने वाले उप–खनिजों की मात्रा एवं उनके द्वारा तैयार माल को समय–समय पर चैक किया जाना एवं स्टोन क्रशर से उप–खनिजों की निकासी पर भी प्रभावी पर्यवेक्षण जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2.7 उत्तरांचल में स्टोन क्रशर्स की स्थापना के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

(1) स्टोन क्रशर स्कूल कालेज/चिकित्सालय/मंदिर/पुल/नहर से कम से कम 500 मीटर दूर होने चाहिए।

(2) प्रदूषण मुक्त होने के लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना होगा।

(3) राजस्व विभाग से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना होगा कि प्रस्तावित स्टोन क्रशर नदी तद, आरक्षित वन क्षेत्र एवं मुख्य सड़क मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यीय राजमार्ग) से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर हो तथा दो स्टोन क्रशरों के बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए।

2.8 दडा (आर.बी.एम.) की रॉयल्टी रेट मिश्रण में पाये जाने वाले अधिकतम रॉयल्टी वाले उप–खनिज अर्थात बजरी के रॉयल्टी रेट के बराबर होगी।

2.9 निगमों के क्षेत्रों में उप–खनिजों के खदान/चुगान, छनाई एवं लदान कार्य मे लगे श्रमिकों की वांछित मजदूरी का नियमित भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। इसी क्रम में चुगान क्षेत्र से अवैध खनन एवं निकासी पर प्रभावी नियंत्रण रखना भी सूनिश्चित किया जाये।

2.10 .1 राजकीय निर्माण कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से चिन्हित स्थलों पर (जनपद देहरादून, उधमसिह नगर, हरिद्वार व जनपद नैनीताल की हल्द्वानी व रामनगर तहसीलों को छोड़कर) उप–खनिजों के चुगान के पट्टे निर्माण विभागों द्वारा आवेदन करने पर जिलाधिकारी द्वारा दिये जायेंगे ।

2.11 .2 जहां किन्हीं कारणोंवश ऐसी व्यवस्था उपलब्ध/संभव न हो वहां सम्बन्धित निर्माण संस्था के अधिशासी अभियन्ता के प्रमाण–पत्र पर निगम के प्रख्यापित मूल्यों पर निर्माण सामग्री सम्बन्धित निगम द्वारा कार्यदायी संस्था अधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध करायी जायेगी ताकि सरकारी निर्माण संस्थाओं को उनकी न्यूनतम आवश्यकतानुसार निर्माण सामग्री न्यूनतम दूरी से उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिये भी लागू रहेगी ।

2.12 .3 उपरोक्त सरकारी महत्व के कार्यो में निर्माण सामग्री की उपलब्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित मण्डलायुक्त आपूर्ति व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर समय–समय पर आने वाली कठिनाईयों का निराकरण अपने स्तर से करेंगे। आवश्यकतानुसार प्रकरण शासन को संदर्भित किया जायेगा।

3. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों का अनुपालन एवं क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(एस0 कृष्णन)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांक /3498/औ0वि0–22 ख/2001 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू, उत्तरांचल।
4. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कमांयू मण्डल विकस निगम/उत्तरांचल वन विकास निगम ।
5. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
7. निजी सचिव, मा0 औद्योगिक विकास मंत्री।
8. गोपन अनुभाग।

9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूडकी, जनपद हरिद्वार को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
(पुनीत कंसल)
अपर सचिव।

उत्तरांचल सरकार
औद्योगिक विकास विभाग

संख्याः 617/सात/05/158–ख/2994
देहरादून, 14–03–2005
अधिसूचना

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 23–ग के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण को निवारित करने की दृष्टि से, निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात :–

उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 200

1. यह नियमावली उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारण्य

2. यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. 1. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :– परिभाषाएं

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) से है।

(ख) ''प्राधिकृत अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के अधीन सरकारी गजट में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र के लिए और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जिसके लिए उसे अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, से है और वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्न्तगत लोक सेवक समझा जायेगा।

(ग) ''वाहक'' का तात्पर्य किसी रीति, सुविधा या वाहन से है जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाय और जिसमे यांत्रिक युक्ति, व्यक्ति, पशु या गाड़ी भी सम्मिलित है।

(घ) ''अनुसंधान कार्य'' का तात्पर्य बिना किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के

प्रयोजन के लिए और उद्योग में उपयोग हेतु खनिज के लाभार्थ और उच्चीकरण के लिए उसकी उपयुक्तता के परीक्षण के लिए किये गये किसी कार्य, से है।

(ड़) ''नियमावली, 1960'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 13 के अधीन बनाई गयी खनिज रियायत नियमावली, 1960 से है।

(च) ''नियमावली, 2001'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गयी ''उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) से है।

(छ) ''वैज्ञानिक परीक्षण'' का तात्पर्य बिना किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए खनिज के रासायनिक या खनिजिय विश्लेषण और उसके रासायनिक एवं खनिजीय घटकों एवं गुणों के निर्धारण के लिए किये गये किसी परीक्षण से है।

(ज) ''जिला अधिकारी'' का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर या उपायुक्त से है जिसमें भूमि स्थित है।

(झ) ''अभिवहनपास'' का तात्पर्य अधिनियम या तद्धीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के अनुसार निकाले गये किसी खनिज के विधिपूर्ण परिवहन हेतु खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञापत्र धारक या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी या खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये गये पास से है।

2. ''शब्दों और पदों'' जो परिभाषित नहीं है परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं ।

प्रतिषेध धारा 23–ग (1)

3. कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञापत्र धारक का पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना किसी खनिज का उसके खनन किए जाने के स्थान से किसी अन्य स्थान पर न परिवहन करेगा, न उसे ले जायेगा अथवा न परिहन करायेगा और न ले जाने का कार्य करायेगा।

अभिवहन पास का प्रदाय और उसके लिए फीस

4. 1. यथास्थिति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञापत्र धारक या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी या खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी, जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किसी खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास बुक प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित फीस के साथ एवं रीति के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

2. अभिवहन पास बुक का प्रदाय सम्बन्धित जिले के जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस नियमावली या अधिनियम या तद्धीन बनाई गई किसी अन्य नियमावली के अधीन किया जायेगा।

5. 1. अभिवहन पास, खनन पट्टाधारी या खनन अनुज्ञा–पत्रधारी या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–''एन'' में मुख्य खनिज के लिए और नियमावली, 2001 के साथ संलग्न प्रपत्र एम0एम0 11 में उपखनिज के लिए जारी किया जायेगा।

अभिवहन पास का जारी किया जाना

2. खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी, भण्डार से विधिपूर्ण परिवहन के लिए प्रपत्र– ''जे'' में अभिवहन पास जारी करेगा।

अध्याय–दो
खनिजों का परिवहन

6. 1. यदि राज्य सरकार, निकाले गये खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने की दृष्टि से जांच चौकी की स्थापना को आवश्यक समझे तो वह राज्य के भीतर किसी स्थान या स्थानों पर जांच चौकी की स्थापना की अधिसूचना कर सकती है। — खनिजों के निरीक्षण हेतु जांच चौकियों की स्थापना

2. किसी स्थान पर जांच चौकी की स्थापना गजट में अधिसूचित की जायेगी।

3. जॉच चौकी का भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जिसके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि ले जाया जा रहा खनिज अभिवहन पास के अनुसार नहीं है, तो ऐसा अधिकारी उप–नियम (4) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

4. (क) जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को खनिज तथा वाहन का अभिग्रहण करने का अधिकार होगा।
   (ख) जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे खनिज और वाहन की, जो उसके द्वारा अभिगृहीत किये गये हैं, प्राप्ति रसीद उस व्यक्ति को देगा जिसके कब्जे या नियंत्रण से उसे अभिगृहीत किया गया है।
   (ग) जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी वाहन वाहक के भारसाधक व्यक्ति को उप–नियम (1) और (2) के अधीन स्थापित निकटतम जांच चौकी या निकटतम पुलिस स्टेशन पर खनिज को ले जाने के लिए निर्देश दे सकता है।

7. 1. खनन पट्टा धारी/खनन अनुज्ञा–पत्रधारी या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वाहन द्वारा खनिजों के सभी प्रेषण के साथ एक अभिवहन पास दो प्रतियों में संलग्न होगा। वाहन वाहक का भारसाधक व्यक्ति, उक्त प्रयोजन के लिए जांच चौकी पर या राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर अभिवहन पास प्रस्तुत करेगा। — खनिजों का परिवहन

2. खनिज ढोने वाले सभी वाहन वाहक, जांच चौकी पर रूकेंगे और सम्बन्धित जांच चौकी द्वारा रवन्ना दिये जाने के उपरान्त ही प्रस्थान करेंगे। जांच चौकी का भारसाधक व्यक्ति अभिवहन पास की प्रथम प्रति पर आवश्यक पृष्ठांकन करेगा और उसे तत्काल ऐसे वाहन के संचालक को वापस करेगा और अभिवहन पास की द्वितीय प्रति जांच चौकी के अभिलेखों में रखी जायेगी।

अध्याय–तीन
खनिजों का भण्डारण

8. 1. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रपत्र–''एच'' में किया जायेगा। — खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

2. ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ 500.00 रूपये की अप्रतिदेय फीस पूर्ण पते सहित भण्डार के स्वामी का नाम, भण्डारण स्थल का विवरण, खनिज का नाम, भण्डारित किये जाने वाले खनिज की मात्रा, अनुज्ञप्ति की अवधि तथा भण्डारण का प्रयोजन संलग्न किया जायेगा।

9. जिलाधिकारी, इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् ऐसी मात्रा के लिए जो उसके द्वारा उचित और उपयुक्त समझी जाय, दो वर्ष की अवधि के लिए प्रपत्र–''आई'' में अनुज्ञप्ति अनुदत कर सकता है। — आवेदन का निस्तारण

10. खनिज के भण्डार के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्त होने के दिनांक से कम से कम दो माह पूर्व 500.00 रूपये की शुल्क और पूर्व अनुज्ञप्ति के विवरण — अनुज्ञप्ति का

सहित जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण एक समय में दो वर्ष तक के लिए किया जा सकेगा। नवीनीकरण

11. कोई व्यक्ति :–

(क) अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी स्थान पर किसी खनिज का भण्डारण नही करेगा,

(ख) किसी सार्वजनिक सड़क, रेलमार्ग या किसी सार्वजनिक परिसर से 50 मीटर के भीतर किसी खनिज का भण्डारण नहीं करेगा,

(ग) किसी ऐसी भूमि, जो उसकी नहीं या उसके/उसकी वैध किरायेदारी में नहीं है, का उपयोग खनिजों के भण्डारण के लिए नहीं करेगा,

(घ) खनिजों का परिवहन इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र–''जे'' में अभिवहन पास जारी किये बिना, भण्डारण परिसर से किसी अन्य स्थान को नहीं करेगा।

खनिजों के भण्डारण और परिवहन पर निर्बन्धन

12. 1. ऐसा अनुज्ञप्तिधारी हर समय क्रय किये गये, भण्डारित किये गये या निर्गमित किये गये खनिजों का ठीक एवं बोधगम्य लेखा–जोखा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–''के'' में रखेगा।

2. खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी, स्वयं द्वारा भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के ठीक–ठीक लेखा की एक प्रति प्रत्येक माह उस जिलाधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर भण्डार परिसर स्थित है, इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–''एल'' में प्रस्तुत करेगा। खनिजों का ठीक–ठीक लेखा रखना

13. 1. भण्डारित किये गये खनिजों की जांच के प्रयोजन से या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन से जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी :–

खनिजों के भण्डारण का निरीक्षण और जांच

(क) किसी ऐसे भण्डारण परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है,

(ख) भण्डार में पड़े हुए खनिजों के स्टाक को तौल सकता है, माप सकता है या उसकी माप ले सकता है,

(ग) कब्जे में रखे गये किसी दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है,

(घ) ऐसे दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतिलिपियां बना सकता है,

(ड़.) खण्ड (ग) में यथा निर्दिष्ट दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख को मंगा सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है।

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका खनिज के किसी स्टाक पर नियंत्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो, बुला सकता है या उसकी परीक्षा कर सकता है,

(छ) ऐसी सूचना या विवरण मांग सकता है जो आवश्यक समझी जाय।

2. यदि खनिज के स्टाक में कोई अवैधता पाई जाती है तो जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस दे सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करें और यदि नियत समय के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है या इस प्रकार प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का पर्यवसान किया जा सकेगा और यदि इस प्रकार जांच किया गया स्टाक बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के पाया जाता है तो उसे अधिगृहीत और समपहृत कर लिया जायेगा।

अध्याय–चार

प्रकीर्ण

14. राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस नियमावली की परिधि से छूट प्रदान कर सकती है परन्तु खनिज को मात्र वैज्ञानिक परीक्षण और

शोध कार्य के लिए ही भण्डारित किया या ले जाया जाए।

छूट

15. जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति इस नियमावली द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करके :–

(क) आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रपत्र– ''एम'' में अपील प्रस्तुत कर सकता है।

अपील

(ख) प्रत्येक अपील के साथ 500 रूपये फीस, ऐसे रीति व शीर्ष के अधीन जमा की जाएगी जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(ग) राज्य सरकार अपील किये गये आदेश की, जैसा वह उचित और उपयुक्त समझे, पुष्टि, उपान्तरित या अपास्त कर सकती है।

आज्ञा से,
संजीव चोपड़ा
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 2911/VII-II/146–ख/10/2011,
देहरादूनः दिनांकः 18 नवम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011

1. उत्तराखण्ड राज्य मे विभिन्न प्रकार के उपलब्ध खनिजों का दोहन आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा सुनिश्चित करने, पर्यावरण का संरक्षण एवं खनिज क्षेत्रों की पुनर्स्थापना करने, खनिज भण्डारों का आधुनिक तकनीक द्वारा विस्तृत अनुवेक्षण का कार्य करने तथा खनिज के दोहन एवं चुगान के कार्यो में माफियाओं के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु शासनादेश संख्या 1031/औ0वि0/2001 दिनांक 30 अप्रैल, 2001 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य खनिज नीति प्रख्यापित की गयी थी।

2. उपरोक्त नीति के पुनर्विलोकन की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए नीति का विस्तृत परीक्षण, पर्यावरण संरक्षण, राजस्व प्राप्ति, उपभोक्ताओं तथा निर्माण संस्थाओं को उपखनिजों की उचित मूल्यों पर सहज उपलब्धता तथा स्थानीय व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य को संज्ञान में रखते हुए शासनादेश संख्या 3498/औ0वि0–22–ख/2001 दिनांक 17.10.2002 द्वारा खनिज नीति, 2001 मे कतिपय संशोधन किये गये।

3. वर्तमान में सरकारी कार्यदायी निगमों एवं निजी पट्टाधारकों द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 14 के अनुसार पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण न कराये जाने, निर्धारित वार्षिक अपरिहार्य भाटक न दिये जाने, निगमों द्वारा सम्पूर्ण खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य न कर औसतन लगभग 60 प्रतिशत भाग पर ही उपखनिज का चुगान/टिपान किये जाने से खनिज पट्टा क्षेत्र से खनिजों का समुचित मात्रा मे दोहन नहीं हो पा रहा है, तथा निगम द्वारा रिक्त छोड़े गये क्षेत्रों में अवैध खनन की संभावनाए बनी रहती है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं तद्धीन बनायी गई पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 (Environment Impact Assesment Notification-2006) दिनांक 14.09.2006 का भी अनुपालन पूर्ण रूप से अपेक्षित है।

4. उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का दोहन आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से सुनिश्चित करने, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण करने, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने, खनिजों से राजस्व मे वृद्धि करने तथा अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की पूर्ति एवं मानव संसाधनों को प्रोत्साहित करने के उदेद्श्य से उत्तराखण्ड राज्य खनिज नीति, 2001 एवं संशोधित नीति, 2002 को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के लिए निम्नानुसार नई खनिज नीति प्रख्यापित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. मुख्य खनिज

मुख्य खनिजों का विकास एवं विनियमन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धाराओं एवं खनिज परिहार नियमावली, 1960 के प्राविधानों के अर्न्तगत किया जाता है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली भारत सरकार

द्वारा प्रवृत्त की गई है। उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग–ए एवं बी में विनिर्दिष्ट मिनरल्स अंकित है, जिसको रिकोनेइसेंस परमिट/प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस/खनन पट्टे पर स्वीकृत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होता है।

मुख्य खनिजों का खनन कार्य सुनियोजित वैज्ञानिक तरीके से खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम, 22 के अर्न्तगत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाता है।

प्रदेश के अर्न्तगत सतही एवं भूगर्भ में पाये जाने वाले खनिज प्रदेश की सम्पति होती है तथा सतही अधिकार प्रदेश मे निहित है, इसलिए खनिज पर देय रायल्टी प्रदेश सरकार द्वारा ही वसूल की जायेगी।

मुख्य खनिजों के सुनियोजित विकास के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी–

(1) शासन द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास की अध्यक्षता मे एक कार्यकारी दल का गठन किया जायेगा। कार्यकारी दल द्वारा मुख्य खनिजों के खनन में अपनायी जा रही तकनीक, उनका पर्यावरण पर प्रभाव तथा खनन से सम्बन्धित प्रचलित कार्य प्रणाली को व्यवहारिक बनाने के सम्बन्ध में उपाय एवं सुझाव तैयार कराये जायेंगे। कार्यकारी दल के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को मुख्य खनिजों से संबंधित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं खनिज परिहार नियमावली, 1960 के सम्बन्ध मे सुझाव देने का भी होगा।

(2) मुख्य खनिजों के खनन हेतु निजी क्षेत्र के ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिनके पास यह कार्य करने हेतु पर्याप्त पूंजी एवं आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो।

(3) मुख्य खनिजों यथा सिलिका सैण्ड, लाइम स्टोन, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन आदि के दोहन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर खनिज उद्योग को बढाया जायेगा।

2. उपखनिज

(1). राज्य के राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों मे उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे गढ़वाल मण्डल क्षेत्र में गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमांऊ मण्डल क्षेत्र मे कुमांऊ मण्डल विकास निगम को तथा वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–1 में आवेदन करने के उपरांत पांच वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेंगे। निगमों के द्वारा उपखनिज के चुगान/खनन कार्य स्वयं किया जायेगा तथा किसी को सबलेट नहीं किया जायेगा। निगम खनिजों की रायल्टी पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

(2). मा0 उच्चतम न्यायालय से एन0पी0वी0 मुक्त निगम/संस्था को छोड़कर शेष निगम एवं निजी पट्टाधारकों के द्वारा खनन पट्टा विलेख का निष्पादन उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 14 के अर्न्तगत कराया जाना आवश्यक होगा तथा उनके द्वारा नियम, 22 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित अपरिहार्य भाटक तथा नियम, 21 के प्रथम अनुसूची में निर्धारित रायल्टी का भुगतान पट्टा विलेख की शर्तो के अनुसार किया जायेगा। मा0 उच्चतम न्यायालय से एन0पी0वी0 मुक्त निगम/संस्था खनन चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से समस्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर एम0 ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरांत निदेशक द्वारा निर्गत अनुमति के पश्चात् ही उपखनिज के चुगान/खनन प्रारम्भ करेंगे।

(3). ऐसे उपखनिज क्षेत्र जिसमें निगमों के द्वारा उपखनिज का चुगान कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है या ऐसे क्षेत्र जिनमे उपलब्ध खनिजों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने में अक्षम पाये जाते हैं, या ऐसे क्षेत्र जो निगमों के द्वारा रिक्त छोड दिये जाते हैं, को नियमानुसार टेन्डर प्रक्रिया के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य विपणन संघ/श्रम संविदा समितियों/कॉपरेटिव सोसाइटियों/संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों को पांच वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे।

(4). स्वस्थित चट्टानों/नदी तल से संबंधित निजी नाप भूमि में खनन पट्टे निजी व्यक्तियों/स्थानीय व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 72 के अनुसार विज्ञप्तिकरण के उपरान्त नियमानुसार खनन पट्टे पांच वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेंगे जिसमें भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो, तो उसे खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त नीति के अधीन किसी भी व्यक्ति/संस्था को 05.00 हैक्टेअर से अधिक के खनन पट्टे तथा किसी भी व्यक्ति/संस्था को एक से अधिक पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(5). राज्य के वन भूमि को छोड़कर समस्त नदी तलों में नदी के किनारे से नदी की चौड़ाई का 15 प्रतिशत भाग छोड़ते हुए उपखनिज का चुगान का कार्य यथासंभव नदी के मध्य से किया जायेगा जिससे कि नदी के जल प्रवाह की धारा को नदी के मध्य केन्द्रीत किया जा सके। इसके अतिरिक्त पुल, सार्वजनिक स्थान आदि से अपस्ट्रीम साइड मे 100 मी0 तथा डाउनस्ट्रीम में भी 100 मी0 क्षेत्र को प्रतिबंधित करते हुए चुगान कार्य किया जायेगा। इसके अर्न्तगत उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में उपखनिज क्षेत्रों के विज्ञप्तिकरण/चिन्हींकरण हेतु गठित समिति द्वारा नदी तट सुरक्षा हेतु नदी तट से सुरक्षित दूरी के लिए निर्धारित मानक में शिथिलता प्रदान की जा सकती है। परन्तु अपरिहार्य भाटक की गणना हेतु सम्पूर्ण नदी तल की चौड़ाई को सम्मिलित करतें हुए स्वीकृति प्रदान की जायेगी। जिससे सुरक्षित किए जाने वाले स्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी खनन पट्टाधारक की सुनिश्चित की जा सके।

(6). नदी तल से सम्बन्धित वन भूमि को छोड़कर निजी नाप भूमि (Alluivial-Delluvial Soil) के खनन पट्टों को स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपखनिज का चुगान नदी के मध्य से चौड़ाई का 15 प्रतिशत दोनों किनारों से छोड़ते हुए स्वीकृत/विज्ञापित किए जाने की प्रकिया अपनायी जायेगी। ऐसे क्षेत्रों के चिन्हीकरण हेतु जनपद के जिलाधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर के मध्य उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर स्वीकृत किए जाने/प्रतिबंधित किए जाने वाली भूमि की सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को जिलाधिकारी के माध्यम से सूचित करेगें।

(7). भवनो के बेंसमेंन्ट से मिट्टी की खुदाई व निजी भूमि से व्यवसायिक उपयोग के लिए मिट्टी की खुदाई व भूमि धरी/निजी नाप भूमि जो नदी तल से बाहर स्थित है के समतलीकरण के दौरान निकलने वाले उपखनिज बालू/बोल्डर/पत्थर/मिट्टी हेतु निजी व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 68 के अन्तर्गत नियम, 72 को शिथिल करते हुए उक्त नियमावली के अध्याय–6 के नियमानुसार अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा पत्र ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से जांच/मूल्यांकन आख्या प्राप्त कर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(8). मैदानी क्षेत्र यथा विकासनगर, देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश, हल्द्वानी, उधमसिहंनगर, रामनगर तथा हरिद्वार को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भवन के निर्माण हेतु भवन के स्टीमेट जो क्षेत्रीय पटवारी/राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, के आधार पर 150 घन मीटर तक की निर्माण सामग्री (उपखनिज बालू/बजरी/बोल्डर) चिन्हित नदी तल से चुगान की अनुमति ग्रामीण क्षेत्रों मे संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। उपयोग में आने वाले उपखनिज का परिवहन, प्रपत्र एम0एम0–11 पर किया जायेगा।

(9). ईंट बनाने की मिटटी के खनन अनुज्ञा पत्र ईट भट्टा समाधान योजना के अर्न्तगत ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक की जांच/निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(10). पर्वतीय क्षेत्रों मे उपखनिज के चुगान का कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जायेगा परन्तु मैदानी शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा तथा ऐसे क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान का कार्य दिन–रात किया जा सकता है।

3. जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में:– परियोजनाओं द्वारा जलाशय/सुरंग (Tunnel)/ नहर आदि के निर्माण कार्य से निकलने वाले Muck (उपखनिज पत्थर/ बोल्डर/बालू आदि) को परियोजना के निर्माण कार्य में उपयोग हेतु परियोजना के निर्माण स्टीमेट (Estimate) की जॉच/निरीक्षण व मूल्यांकन ज्येष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी/ खान निरीक्षक से कराते हुए उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 68 के अन्तर्गत नियम, 72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति शासन के द्वारा निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म की संस्तुति के आधार पर दी जायेगी।

4. सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्ध मे:– सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, डी0जी0 बी0आर (ग्रेफ) सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण स्टीमेट (Estimate) की जॉच/निरीक्षण व मूल्यांकन ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराते हुए उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 68 के अर्न्तगत नियम, 72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार खनन अनुज्ञा–पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। यह प्रकिया राज्य के जलाशयों एवं नहरों में जमा उपखनिज की सफाई/निकासी के लिए भी अपनायी जायेगी।

5–खनन पट्टा के आबंटन की प्रकिया:–

(1). उपखनिज क्षेत्रों के चिन्हींकरण एवं विज्ञप्तिकरण हेतु उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के पदेन सदस्य सचिव, ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक की संस्तुति आख्या के आधार पर क्षेत्रों के विज्ञप्तिकरण की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। तदोपरान्त प्राप्त आवेदन–पत्रों को जिलाधिकारी के द्वारा निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म को प्रेषित किये जायेगें।

(2). खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अर्न्तगत खनिज के परिहवन हेतु समस्त प्रपत्र सम्बन्धित जनपद के ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/ खान निरीक्षक द्वारा जारी किये जायेगे।

(3). खनिजों का परिवहन खान एंव खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अर्न्तगत निर्धारित प्रपत्र पर सुनिश्चित किये जायेगे।

(4). पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं पर्यावरण संरक्षण नियमावली, 1986 के नियम, 5 के उपनियम (3) के अर्न्तगत जारी EIA नोटिफिकेशन दिनांक 14–09–2006 के अर्न्तगत राज्य में उक्त नोटिफिकेशन के प्रख्यापन की तिथि के उपरान्त स्वीकृत/नवीनीकृत/स्वीकृत किये जाने वाले ऐसे खनन पट्टों जिनका क्षेत्रफल 5.00 है0 या 5.00 है0 से अधिक है, को उक्त नोटिफिकेशन के अर्न्तगत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरण अनुमति (Environment Clearance) प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। EIA कराने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय नोडल विभाग होगा।

(5). समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्र धारक/भण्डारण स्वामी को निर्गत किये जाने वाले परिवहन प्रपत्रों पर खनिज की मात्रा का निर्धारण कर रायल्टी की धनराशि एवं पुस्तक मूल्य अग्रिम रूप से जमा करायी जायेगी जिसका दायित्व सम्बन्धित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक का होगा।

(6) निजी नाप भूमि में खनन पट्टे निजी व्यक्तियों/स्थानीय व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 72 के अनुसार विज्ञप्तिकरण के उपरान्त नियमानुसार खनन पट्टे 05 वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेंगे

जिसमें भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो, तो उसे खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

(7). खनिज पर आधारित उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को खनन पट्टा दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

6. अवैध खनन पर अंकुशः—

(1). अवैध खनन एवं अवैध परिवहन की रोक थाम हेतु आधुनिक Surveillance युक्त चेक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित किये जायेंगे।

(2). अवैध खनन कर्ता/अवैध खनिज परिवहन कर्ता/अवैध भण्डारणकर्ता/स्वीकृत मात्रा से अधिक खनिज का भण्डारणकर्ता से खान एंव खनिज विकास एव विनियमन अधिनियम, 1957, की धारा, 21 के उपनियम (1) एवं 21 के उपनियम (5) द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड की धनराशि रूपये 25000/—के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे खनिज/भण्डारित किये गये खनिज की मात्रा पर विक्रय मूल्य की धनराशि आंगणित कर वसूल किया जायेगा।

(3). राज्य में खनिजों के वैज्ञानिक रूप से दोहन कराये जाने तथा राजस्व की वृद्धि सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद मे एक खान अधिकारी तथा खनिज अन्वेषण हेतु एक भूवैज्ञानिक की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी। इन अधिकारियों के द्वारा जनपद स्तर पर स्थापित "उद्यम प्रोत्साहन एवं एकल खिड़की सुगमता केन्द्र" के माध्यम से खनन उद्योग विकास से संबंधित सूचना एंव मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जायेगा।

(4). खनन पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहन का पंजीकरण वाहन स्वामी के द्वारा निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म उद्योग निदेशालय में कराया जायेगा। पंजीकरण हेतु पृथक से निर्धारित शुल्क भी देय होगा।

(5). खनिजों के भण्डारण के अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण ज्येष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी/खान निरीक्षक की जॉच/निरीक्षण आख्याओं के आधार पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के नियमानुसार संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किये जायेगे।

7. खनिज विकास निधि की स्थापनाः— खनिज विकास एवं अन्वेषण कार्यो के लिए खनिज विकास निधि की स्थापना की जायेगी। इसके लिए विगत वित्तीय वर्ष में खनिजों से प्राप्त राजस्व एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व के अन्तर का 5 प्रतिशत इस निधि में जमा किया जायेगा। यह व्यवस्था 01.04.2012 से लागू होगी। निधि से जिस प्रयोजन हेतु धनराशि व्यय की जायेगी उस हेतु राज्य के आय—व्ययक में मांग नही की जायेगी। खनिज विकास निधि हेतु वित्तीय वर्ष 2012—13 में एक करोड़ रूपये की धनराशि सीड कैपिटल के रूप में प्राविधानित की जाएगी। खनिजों से प्राप्त राजस्व का पांच प्रतिशत धनराशि खनिज अन्वेषण, पर्यवेक्षण, समीक्षा, अवैध खनन की रोकथाम तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यो हेतु व्यय किया जायेगा। उपरोक्त पांच प्रतिशत धनराशि में से तीन प्रतिशत जिलाधिकारियों को संबंधित जनपद से प्राप्त राजस्व के अनुपात मे तथा शेष दो प्रतिशत धनराशि निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय को उपरोक्त कार्यो हेतु आवंटित की जायेगी।

8. विकास शुल्कः— जिस क्षेत्र मे खनिजों के विदोहन हेतु खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेगे उस क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु खनन उद्यमियों/पट्टाधारकों से सरकार द्वारा विकास शुल्क के रूप में विहित धनराशि प्राप्त कर उस क्षेत्र के विकास हेतु जिलाधिकारियों को आंवटित की जायेगी।

9. दून वैली क्षेत्रान्तर्गत नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में चुगान को सुलभ कराये जाने हेतु दून वैली नोटिफिकेशन दिनांक 01.02.1989 एवं ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 के प्राविधानों से मुक्त/शिथिल कराने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अथक प्रयास किए जायेगे।

10. समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्र धारक/खनिज भण्डारण स्वामी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

11. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर :-

(1) उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के लिए पृथक–पृथक स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर अनुज्ञा नीति, 2011 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीतियों के अनुसार ही स्टोन क्रेशर के स्थापना के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

(2) पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाते हुए स्टोन क्रेशर उद्योग को धनात्मक उद्योग श्रेणी में लाया जायेगा तथा मोबाइल स्टोन क्रेशर भी स्थापित किए जायेगे।

12. खनिजों के वैज्ञानिक विधि से दोहन हेतु "क्षमता विकास कार्यक्रम" चलाया जायेगा।

13. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय का यह दायित्व होगा कि इस राज्य खनिज नीति, 2011 के प्राविधानों/उपबन्धों को धरातल पर उतारने एवं लागू किए जाने हेतु 30 जून, 2012 तक का समय निर्धारित किया जायेगा।

14. इस नीति में यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्द्धन मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के निर्देश/अनुमोदन के आधार पर किया जायेगा।

1. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग/भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कुमांयू मण्डल विकास निगम/ उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
8. गोपन अनुभाग।
9. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, जनपद हरिद्वार को आगमी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 2920 / VII-II-11 / 68–रिट / 2008,
देहरादूनः दिनांकः 18 नवम्बर, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजरों को अनुज्ञा दिए जाने में पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन की रोकथाम, प्रदेश के जन साधारण को प्रदूषण मुक्त वातावरण दिए जाने एवं ऐसी इकाईयों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निम्नवत् नीति प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

उत्तराखण्ड के "पर्वतीय क्षेत्र" हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (क) इस नीति का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांन्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011" है।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न होः–

(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैः

(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत हैः

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत हैः

(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत हैः

(ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो क्रमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त हैः

(च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नही, सम्मिलत हैः–

(छ) शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं है परन्तु सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए उक्त अधिनियम दिये गये हैं।

(ज) "पर्वतीय क्षेत्र" से जनपद उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चम्पावत, (टनकपुर ब्लाक छोड़कर) नैनीताल (हल्द्वानी ब्लाक, रामनगर ब्लाक छोड़कर), देहरादून (सहसपुर ब्लाक, डोईवाला ब्लाक, रायपुर ब्लाक छोड़कर) क्षेत्र से अभिप्रेत है।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का स्थान चयन हेतु समिति का गठनः–

(क) राज्य सरकार राज्य में कार्यरत स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा स्थापित होने वाले ऐसे क्रेशर /प्लाटों के चयनित स्थल की जांच निम्नवत गठित समिति करेगी। समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिर्पोट समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

- उपजिलाधिकारी (जिस क्षेत्र में प्रस्तावित/कार्यरत संयत्र) — अध्यक्ष
- प्रभागीय वनाधिकारी या उनका प्रतिनिधि — सदस्य
- उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि — सदस्य
- भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय — सदस्य
- खान अधिकारी/खान निरीक्षक — सदस्य सचिव

4– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु मानकः–

क्र.सं.	स्थान	संयत्र से न्यूनतम दूरी
0	1	2
1.	सरकारी वन	100 मीटर
2.	नदी के किनारे से	100 मीटर
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)	125 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम	175 मीटर
5.	आवासीय भवन (एक परिवार का एक मकान)	125 मीटर
6.	आवासीय क्षेत्र (एक से अधिक मकान तथा एक से अधिक परिवार)	175 मीटर

(क) विशेष परिस्थितियों में समिति द्वारा स्टोन क्रेशर के स्थापना से संम्बन्धित किसी मानक को शिथिल किये जाने की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा उपरोक्त मानकों को शिथिल करते हुए स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान किया जा सकता है।

(ख) उक्त समिति का यदि समाधान हो जाये कि ऐसा करना आवश्यक है तथा क्रेशर का व्यवसायिक उपयोग न होने के दृष्टिगत, उन जल विद्युत परियोजनाओं, जिनके संबध में पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (पर्यावरण प्रभाव आगणन अधिसूचना) जारी हो चुकी हो तथा जिनको वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त हो गई हो, के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना तथा अनुमति के आधार पर आवश्यकतानुसार, परियोजना परिक्षेत्र के अर्न्तगत केवल परियोजनाओं में प्रयोग हेतु स्टोन क्रेशर उत्पादों के निमित्त स्टोन क्रेशर स्थापित करने के प्रयोजनार्थ वर्णित दूरियों में शिथिलता प्रदान करने की संस्तुति कर सकेगी।

5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल एवं क्षमता–:

क्र.सं.	संयत्र	उत्पादन क्षमता	क्षेत्रफल
1	स्टोन क्रेशर	क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक	न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 एकड़
		200 टन प्रतिदिन से अधिक	प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/2 एकड़ अतिरिक्त
2.	स्क्रीनिंग प्लान्ट	क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक	न्यूनतम क्षेत्रफल 1/2 एकड़
		200 टन प्रतिदिन से अधिक	प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/4 एकड़ अतिरिक्त

(क) समिति द्वारा स्टोनक्रेशर के स्थापना से सम्बन्धित किसी मानक को शिथिल किये जाने की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान किया जा सकता है।

पल्वराइजर (**Pulverizer**) का स्थानः–

6. (क) राज्य सरकार राज्य में कार्यरत तथा स्थापित होने वाले पल्वराइजर हेतु निम्नलिखित समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिर्पोट समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगाः–

- उपजिलाधिकारी (जिस क्षेत्र में प्रस्तावित/कार्यरत संयत्र) — अध्यक्ष
- उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि — सदस्य
- भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय — सदस्य
- खान अधिकारी/खान निरीक्षक — सदस्य सचिव

(ख) पल्वराइजर प्लान्ट केवल बन्द गोदाम में स्थापित होंगे।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहनः–

7. (क) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/प्लवराईजर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के प्राविधानों के अधीन करना होगा। जिसके अभिलेखों एवं भण्डारणों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी /खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा किया जायेगा।

(ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर में न्यूनतम् 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर 13 फीट से अधिक ऊँचाई तक कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण न हो। यदि कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक (बिन्दु 8 (ग) में वर्णित) से अधिक होती है, तो उक्त भण्डारण को अवैध भण्डारण मानते हुए स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी के विरूद्ध उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अनुसार जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी के दायित्वः–

8. (क) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट रोड़ साईड कन्ट्रोल एक्ट के अनुसार स्थापित होना अनिवार्य है।

(ख) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) परिसर की चार दीवारी (Boundary wall) के अन्दर मध्य में स्थापित होना चाहिए।

(ग) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारो तरफ कम से कम 15 फीट ऊँची चार दीवारी का निर्माण इकाई की परिधि में किया जाना होगा। न्यूनतम 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर अधिकतम 13 फीट ऊँचाई तक कच्चे माल या तैयार माल का भण्डारण किया जा सकेगा। यदि इकाई परिसर में 13 फीट से अधिक ऊँचाई के तैयार व कच्चे माल के भण्डारण की आवश्यकता है, तो चार दीवारी की ऊँचाई उक्त ऊँचाई

से 2 फीट प्रति 1 फीट कच्चे व तैयार माल की ऊँचाई के अनुसार बढ़ाई जानी होगी। चार दीवारी की डिजाईन सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जानी होगी। जिससे की चार दीवारी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद के लिए) एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।

(घ) धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractors) या धूल के कणों को हवा में उड़ने से रोकने की विधि (Water sprinklers) का प्रभावी उपयोग स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।

(ड.) ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु स्टोन क्रेसिंग संयत्र को बन्द दो दीवारों वाले चैम्बर में स्थापित किया जाना होगा।

(च) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(छ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की सीमा के अन्दर सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल को हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव किये जाने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल के कण हवा में न उड़ सके।

(ज) स्टोन क्रेशर इकाई/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई की चार दीवारी के अन्दर कम से कम सात से दस मीटर चौड़ी तीन कतार में चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ो की हरित पट्टी का विकास कर उसको संरक्षित करना होगा तथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयन्त्र चालू करने के समय अथवा छः माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।

(झ) धूल व ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियां एवं उपकरण इकाई मालिक द्वारा अपने स्वंय के खर्च पर स्थापित करने होगें। धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण विधियों को स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में अनवरत कार्यरत रखने की जिम्मेदारी स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी की होगी।

(ट) कच्चे या तैयार माल भण्डार की सतह जो कि वायु प्रदूषण करती है उसको पर्याप्त मात्रा में पानी के छिड़काव से गीला रखा जाना होगा, जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो।

ध्वनि प्रदूषण के मानकः—

9. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी/प्रख्यापित आदेशों/ अधिनियम में इंगित दिशा–निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रणः—

10. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 अनुपालन हेतु स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर में धूल उत्सर्जन (SPM) नियन्त्रण एवं वर्णित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं वायु गुणवत्ता, ध्वनि मापन मानकों के अनुसार मासिक रिपोर्ट एवं उपकरणों के रख–रखाव की रिपोर्ट प्रत्येक माह में स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/प्लवराईजर के स्वामियों को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विश्लेषण एवं परीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/प्लवराईजर स्थापना हेतु प्रोत्साहन :—

11. (क) राज्य के अर्न्तगत चयनित राजस्व भूमि पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर स्थापना हेतु उक्त भूमि को नीलामी के माध्यम से आवेदन कर्ता को पट्टे पर दी जायेगी जिसमें राज्य के स्थाई निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख)जनपद के स्टोन क्रेशर स्वामी को उपखनिज का खनन पट्टा दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेंगी।

(ग) शासकीय निर्माण इकाईयों/संस्थाओं के द्वारा निर्माण कार्य हेतु ग्रिट आदि क्रय करने हेतु उपलब्धता एवं दरों के आधार पर स्थानीय स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट से भी प्रस्ताव प्राप्त करते हुए विचार किया जायेगा।

(घ) पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक जनपद में दस से अधिक स्टोन क्रेशर की स्थापना नहीं की जायेंगी परन्तु स्थानीय आवश्यकतानुसार समिति की स्पष्ट संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

(ड.)प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से स्टोन क्रेशर के संचालन हेतु प्रति वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रथा को शिथिल करते हुए प्रतिवर्ष पर्यावरणीय जांच/निरीक्षण आख्या में कोई प्रतिकूल आदेश न होने तक स्वतः चालू रखने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर अनुज्ञा की स्वीकृति :

12. (क) इस नीति के उपरान्त प्रदेश में स्थापित/नवीनीकृत होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराईजर अनुज्ञा हेतु पंजीकरण कराने से पूर्व भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 50000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) उत्पादन क्षमता 200 टन प्रतिदिन हेतु एवं उसके ऊपर प्रति 100 टन अथवा भाग पर 50,000.00 (रूपयें पचास हजार मात्र) के अतिरिक्त शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक 0853–अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करा कर आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर क्षेत्र का राजस्व मानचित्र एवं साईट प्लान जिसमें प्रस्तावित संयत्र का ब्यौरा अंकित हो निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को जमा किया जायेगा।

(ख) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा पंजीकरण के उपरान्त तथा उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड से संयत्र चालू करने की अनुमति के उपरान्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इण्टरप्राईजेज एक्ट (MSME) के अधीन जिला उद्योग केन्द्र में रिटर्न दाखिल करना होगा।

(ग) वर्तमान में चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर भी उक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

(घ) पूर्व से चल रहे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर को नये स्थान पर इस नीति के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष में स्थानान्तरित करना होगा। उक्त अवधि के अन्दर यदि वे उक्त इकाईयों को स्थानान्तरित नही करते है तो उनकी अनुज्ञा का नवीनीकरण अग्रेत्तर नही किया जायेगा। नीति के प्रख्यापन की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर भी नई इकाईयों के लिए न तो ऐसे क्षेत्र में नयी अनुज्ञा की स्वीकृति दी जायेगी और न ही पुरानी अनुज्ञा की अवधि में विस्तार किया जायेगा। पुरानी इकाईयों के लिए कच्चा माल/तैयार माल के भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के लिए भण्डारण की अनुज्ञा भी उक्तवत अवधि तक ही दी जायेगी। इस अवधि में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Consent to operate की अनापत्ति निर्धारित मानको के पूर्ण होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

(ड.) प्रस्तर 3(क) एवं 5(क) के अर्न्तगत विभिन्न विभागों की गठित समिति स्थापित होने वाले एवं चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लांट के नवीनीकरण हेतु सदस्य सचिव के माध्यम से समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिर्पोट सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन स्तर से अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा (03) तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

(ख)जनपद के स्टोन क्रेशर स्वामी को उपखनिज का खनन पट्टा दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेंगी।

(ग) शासकीय निर्माण इकाईयों/संस्थाओं के द्वारा निर्माण कार्य हेतु ग्रिट आदि क्रय करने हेतु उपलब्धता एवं दरों के आधार पर स्थानीय स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट से भी प्रस्ताव प्राप्त करते हुए विचार किया जायेगा।

(घ) पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक जनपद में दस से अधिक स्टोन क्रेशर की स्थापना नहीं की जायेंगी परन्तु स्थानीय आवश्यकतानुसार समिति की स्पष्ट संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

(ड.)प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से स्टोन क्रेशर के संचालन हेतु प्रति वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रथा को शिथिल करते हुए प्रतिवर्ष पर्यावरणीय जांच/निरीक्षण आख्या में कोई प्रतिकूल आदेश न होने तक स्वतः चालू रखने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर अनुज्ञा की स्वीकृति :

12. (क) इस नीति के उपरान्त प्रदेश में स्थापित/नवीनीकृत होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराईजर अनुज्ञा हेतु पंजीकरण कराने से पूर्व भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 50000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) उत्पादन क्षमता 200 टन प्रतिदिन हेतु एवं उसके ऊपर प्रति 100 टन अथवा भाग पर 50,000.00 (रूपयें पचास हजार मात्र) के अतिरिक्त शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक 0853–अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करा कर आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर क्षेत्र का राजस्व मानचित्र एवं साईट प्लान जिसमें प्रस्तावित संयत्र का ब्यौरा अंकित हो निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को जमा किया जायेगा।

(ख) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा पंजीकरण के उपरान्त तथा उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड से संयत्र चालू करने की अनुमति के उपरान्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इण्टरप्राईजेज एक्ट (MSME) के अधीन जिला उद्योग केन्द्र में रिटर्न दाखिल करना होगा।

(ग) वर्तमान में चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर भी उक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

(घ) पूर्व से चल रहे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर को नये स्थान पर इस नीति के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष में स्थानान्तरित करना होगा। उक्त अवधि के अन्दर यदि वे उक्त इकाईयों को स्थानान्तरित नही करते है तो उनकी अनुज्ञा का नवीनीकरण अग्रेत्तर नही किया जायेगा। नीति के प्रख्यापन की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर भी नई इकाईयों के लिए न तो ऐसे क्षेत्र में नयी अनुज्ञा की स्वीकृति दी जायेगी और न ही पुरानी अनुज्ञा की अवधि में विस्तार किया जायेगा। पुरानी इकाईयों के लिए कच्चा माल/तैयार माल के भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के लिए भण्डारण की अनुज्ञा भी उक्तवत अवधि तक ही दी जायेगी। इस अवधि में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Consent to operate की अनापत्ति निर्धारित मानको के पूर्ण होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

(ड.) प्रस्तर 3(क) एवं 5(क) के अर्न्तगत विभिन्न विभागों की गठित समिति स्थापित होने वाले एवं चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लांट के नवीनीकरण हेतु सदस्य सचिव के माध्यम से समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिर्पोट सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन स्तर से अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा (03) तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 2912/VII-II-11/68–रिट/2008,
देहरादूनः दिनांकः 18 नवम्बर, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजरों को अनुज्ञा दिए जाने में पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन की रोकथाम, प्रदेश के जन साधारण को प्रदूषण मुक्त वातावरण दिए जाने एवं ऐसी इकाईयों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निम्नवत् नीति प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड के "मैदानी क्षेत्र" हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराइजर अनुज्ञा नीति, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(क) इस नीति का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांन्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011" है।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं 2. जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो:–

(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है:

(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है:

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है:

(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है:

(ड़) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो क्रमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है:

(च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नही, सम्मिलित है:–

(छ) शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं है परन्तु सामान्य खण्ड अधिनियम 1904 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए उक्त अधिनियम दिये गये हैं।

(ज) "मैदानी क्षेत्र" से जनपद देहरादून के सहसपुर ब्लाक, डोईवाला ब्लाक, एवं रायपुर ब्लाक, जनपद हरिद्वार, जनपद उधमसिंहनगर, जनपद नैनीताल के हल्द्वानी ब्लाक एवं रामनगर ब्लाक तथा जनपद चम्पावत के टनकपुर क्षेत्र अभिप्रेत है।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का स्थान चयन हेतु समिति का गठनः–

3. (क) राज्य सरकार राज्य में कार्यरत स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा स्थापित होने वाले ऐसे क्रेशर/प्लान्टों के चयनित स्थल की जांच हेतु निम्नवत एक समिति का गठन करेगी। समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिर्पोट समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगाः–

समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

- उपजिलाधिकारी (जिस क्षेत्र में प्रस्तावित/कार्यरत संयत्र) — अध्यक्ष
- प्रभागीय वनाधिकारी या उनका प्रतिनिधि — सदस्य
- उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि — सदस्य
- भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय — सदस्य
- खान अधिकारी/खान निरीक्षक — सदस्य सचिव

4. स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लांट हेतु मानकः–

क्र.सं.	स्थान	संयत्र से न्यूनतम दूरी (मीटर में)
1	2	3
1.	सरकारी वन	500 मीटर
2.	नदी के किनारे से	500 मीटर
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)	500 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम	500 मीटर
5.	आवासीय भवन (एक परिवार का एक मकान)	500 मीटर
6.	आवासीय क्षेत्र (एक से अधिक मकान तथा एक से अधिक परिवार)	500 मीटर

(क) स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्थल चयन हेतु गठित समिति द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना सम्बन्धी किसी मानक को शिथिल किये जाने की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा उपरोक्त मानकों में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

(ख) उक्त समिति का यदि समाधान हो जाये कि ऐसा करना आवश्यक है तथा क्रेशर का व्यवसायिक उपयोग न होने के दृष्टिगत, उन जल विद्युत परियोजनाओं, जिनके सम्बन्ध में पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (पर्यावरण प्रभाव आगणन अधिसूचना) जारी हो चुकी हो तथा जिनको वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त हो गई हो, के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना तथा अनुमति के आधार पर आवश्यकतानुसार, परियोजना परिक्षेत्र के अर्न्तगत केवल परियोजनाओं में प्रयोग हेतु स्टोन क्रेशर उत्पादों के निमित्त स्टोन क्रेशर स्थापित करने के प्रयोजनार्थ वर्णित दूरियों में शिथिलता प्रदान करने की संस्तुति कर सकेगी।

5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल एवं क्षमताः–

क्र.सं.	संयत्र	उत्पादन क्षमता	क्षेत्रफल
1.	स्टोन क्रेशर	क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक।	न्यूनतम क्षेत्रफल 5.00 एकड़।
		200 टन प्रतिदिन से अधिक।	प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1.00 एकड़ अतिरिक्त।
2.	स्क्रीनिंग प्लान्ट	क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक।	न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 एकड़।
		200 टन प्रतिदिन से अधिक।	प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1 एकड़ अतिरिक्त।

(क) स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्थल चयन हेतु गठित समिति द्वारा स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना सम्बन्धी किसी मानक को शिथिल किये जाने की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा उपरोक्त मानकों में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

6. पल्वराइजर का स्थानः—

(क) राज्य सरकार राज्य में कार्यरत तथा स्थापित होने वाले पल्वराइजर हेतु निम्नलिखित समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिर्पोट समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगाः—

- उपजिलाधिकारी (जिस क्षेत्र में प्रस्तावित/कार्यरत संयत्र) — अध्यक्ष।
- प्रभागीय वनाधिकारी या उनका प्रतिनिधि — सदस्य।
- उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि — सदस्य।
- भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय — सदस्य।
- खान अधिकारी/खान निरीक्षक — सदस्य सचिव।

(ख) पल्वराइजर प्लांट केवल बन्द गोदाम में स्थापित होंगे।

7. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहनः—

(क) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/प्लवराईजर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के प्राविधानो के अधीन करना होगा। जिसके अभिलेखों एवं भण्डारणो का परीक्षण जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान अधिकारी/ खान निरीक्षक (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा किया जायेगा।

(ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर में न्यूनतम् 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर 13 फीट से अधिक ऊँचाई तक कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण न हो यदि कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक (बिन्दु 6 (ग) में वर्णित) से अधिक होती है, तो उक्त भण्डारण को अवैध भण्डारण मानते हुए स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी के विरूद्ध उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अनुसार जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी /ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

8. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्वामी के दायित्वः—

(क) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट रोड साईड कन्ट्रोल एक्ट के अनुसार स्थापित होना अनिवार्य है।

(ख) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) परिसर की चार दीवारी (Boundary wall) के अन्दर मध्य में स्थापित होना चाहिए।

(ग) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारो तरफ कम से कम 15 फीट ऊँची चार दीवारी का निर्माण

इकाई की परिधि में किया जाना होगा। न्यूनतम 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर अधिकतम 13 फीट ऊँचाई तक कच्चे माल या तैयार माल का भण्डारण किया जा सकेगा। यदि इकाई परिसर में 13 फीट से अधिक ऊँचाई के तैयार व कच्चे माल के भण्डारण की आवश्यकता है, तो चार दीवारी की ऊँचाई उक्त ऊँचाई से दो फीट प्रति एक फीट कच्चे व तैयार माल की ऊँचाई के अनुसार बढ़ाई जानी होगी। चार दीवारी की डिजाईन सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जानी होगी। जिससे की चार दीवारी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकें। ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।

(घ) धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractors) या धूल के कणों को हवा में उड़ने से रोकने की विधि (Water sprinklers) का प्रभावी उपयोग स्टोन केशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट की उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।

(ड़) ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु स्टोन क्रेसिंग संयत्र को बन्द दो दीवारों वाले चैम्बर में स्थापित किया जाना होगा।

(च) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(छ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की सीमा के अन्दर सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल को हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव किये जाने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल के कण हवा में न उड सकें।

(ज) स्टोन केशर इकाई/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई की चार दीवारी के अन्दर कम से कम सात से दस मीटर चौड़ी तीन कतार में चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेडों की हरित पट्टी का विकास कर उसको संरक्षित करना होगा तथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयन्त्र चालू करने के समय अथवा छः माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।

(झ) धूल व ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियां एवं उपकरण इकाई मालिक द्वारा अपने स्वंय के खर्च पर स्थापित करने होंगे। धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण विधियों को स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में अनवरत् कार्यरत् रखने की जिम्मेदारी स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी की होगी।

(ञ) कच्चे या तैयार माल भण्डार की सतह जो कि वायु प्रदूषण करती है उसको पर्याप्त मात्रा में पानी के छिड़काव से गीला रखा जाना होगा, जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो।

9. ध्वनि प्रदूषण के मानकः—

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन.केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी/प्रख्यापित आदेंशों/ अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

10. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रणः—

(क) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अनुपालन हेतु स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर में धूल उत्सर्जन (SPM) नियन्त्रण एवं वर्णित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं वायु गुणवत्ता, ध्वनि मापन मानकों के अनुसार मासिक रिपोर्ट एवं उपकरणों के रख–रखाव की रिपोर्ट प्रत्येक माह में स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर के स्वामियों को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विश्लेषण एवं परीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ख) प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से स्टोन क्रेशर के संचालन हेतु प्रतिवर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु समय–सीमा निर्धारित कर ली जायेगी।

11. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर अनुज्ञा की स्वीकृति:–

(क) इस नीति के उपरान्त प्रदेश में स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/ प्लवराईजर अनुज्ञा हेतु पंजीकरण कराने से पूर्व भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) उत्पादन क्षमता 200 टन प्रतिदिन एवं उसके ऊपर प्रति 100 टन अथवा भाग पर 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) के अतिरिक्त शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक 0853–अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करा कर आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर क्षेत्र का राजस्व मानचित्र एवं साईट प्लान जिसमें प्रस्तावित संयत्र का ब्यौरा अंकित हो निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को जमा किया जायेगा।

(ख) निदेशक/खनन प्रशासन में वरिष्ठतम अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा पंजीकरण के उपरान्त तथा उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड से संयत्र चालू करने की अनुमति के उपरान्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इण्टरप्राईजेज एक्ट (MSME) के अधीन जिला उद्योग केन्द्र में रिर्टन दाखिल करना होगा।

(ग) वर्तमान में चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर भी उक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

(घ) पूर्व से चल रहे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर को नये स्थान पर इस नीति के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष में स्थानान्तरित करना होगा। उक्त अवधि के अन्दर यदि वे उक्त इकाईयों को स्थानान्तरित नहीं करते है तो इनकी अनुज्ञा का नवीनीकरण अग्रेत्तर नही किया जायेगा। नीति के प्रख्यापन की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर भी नई इकाईयों के लिए न तो ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा की स्वीकृति दी जायेगी और न ही पुरानी अनुज्ञा की अवधि में विस्तार किया जायेगा। पुरानी इकाईयों के लिए कच्चा माल/तैयार माल के भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 के लिए भण्डारण की अनुज्ञा भी उक्तवत् अवधि तक ही दी जायेगी। इस अवधि में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Consent to operate की अनापत्ति निर्धारित मानको के पूर्ण होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

(ड़) प्रस्तर–3(क) एवं 6(क) के अर्न्तगत विभिन्न विभागो की गठित समिति स्थापित होने वाले एवं चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट के नवीनीकरण हेतु सदस्य सचिव के माध्यम से समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिर्पोट सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन स्तर से अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

(च) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट की अनुज्ञा का नवीनीकरण पांच वर्ष की समय सीमा के पश्चात् किया जायेगा।

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः (1)/VII-II-11/68–रिट/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग/भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कुमांयू मण्डल विकास निगम/उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
8. गोपन अनुभाग।
9. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, जनपद हरिद्वार को आगमी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

क्रम संख्या–240(घ)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2011 ई0
पौष 02, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड सरकार
औद्योगिक विकास अनुभाग–2

संख्या 3252/VII-II/22–ख/01/2011
देहरादून, 23 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 1187/औ0वि0/2001–22ख/2001 दिनांक 30.04.2001 के कम में उत्तराखण्ड राज्य में खनिज विकास को प्रोत्साहित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2001 में निम्नवत संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (यथासंशोधित/परिवर्द्धित) 2011

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2001 में निम्नानुसार स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम/उपनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम/उपनियम रख दिया जायेंगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम/प्राविधान	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम/प्राविधान
नियम–3– खनन संकियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन होगी–	नियम–3– खनन संकियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन होगी– (अतिरिक्त प्राविधान) (3)ऐसे उपखनिज क्षेत्र जिसमें निगमों के द्वारा उपखनिज का चुगान कार्य करने में असमर्थता ब्यक्त की जाती है या ऐसे क्षेत्र जिनमें उपलब्ध खनिजों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने में अक्षम पाये जाते है या ऐसे क्षेत्र जो निगमों के द्वारा रिक्त छोड दिये जाते है, को नियमानुसार टेण्डर प्रकिया

नियम–12 खनन पट्टे की अवधिः–(1) उपनियम (2) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, वह अवधि जिसके लिए खनन पट्टा दिया जा सकता है, दस वर्ष से अधिक न होगी।

(2) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणो से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी अवधि के लिए खनन पट्टे दे सकती है, जो दस वर्ष से अधिक हो किन्तु पन्द्रह वर्ष से अधिक न हो।

नियम–14 पट्टाविलेख तीन मास के भीतर निष्पादित किया जायेगा।

उपनियम–(2)– उपनियम–(1) में विर्निदिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक होगा जब उक्त उपनियम के अधीन विलेख निष्पादित किया जाय।

उपनियम–(4)– उपनियम–(3) में विर्निदिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक उक्त उपनियम के अधीन विलेख निष्पादित किये जाने का दिनांक या वास्तविक रूप से खनन संक्रियां प्रारम्भ किये जाने का दिनांक, इनमें जो भी पहले हो, होगा।

नियम–17 पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षणः–(1) जब खनन पट्टा दिया जाये तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा जिसके लिए पट्टेदार से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगाः–

नियम–12 खनन पट्टे की अवधिः–(1) उपनियम (2) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, वह अवधि जिसके लिए खनन पट्टा दिया जा सकता है, पॉच वर्ष से अधिक न होगी।

(2) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणो से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी अवधि के लिए खनन पट्टे दे सकती है, जो पॉच वर्ष से अधिक हो किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो।

नियम–14 पट्टाविलेख/एम0ओ0यू0 तीन मास के भीतर निष्पादित एवं पंजीकृत किया जायेगा।

उपनियम–(2)– उपनियम–(1) में विर्निदिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक होगा जब उक्त उपनियम के अधीन निष्पादित विलेख का पंजीकरण उप निबंधक द्वारा किया जाय।

उपनियम–(4)– उपनियम–(3) में विर्निदिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक उक्त उपनियम के अधीन विलेख निष्पादन के उपरान्त उपनिबन्धक द्वारा पंजीकरण किये जाने का दिनांक होगा।

(अतिरिक्त प्राविधान)

उपनियम–(6) मा0 उच्चतम न्यायालय से एन0पी0वी0 मुक्त निगम/संस्था खनन/चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यु0 तीन माह के अर्न्तगत हस्ताक्षरित करेगे। तथा एम0ओ0यु0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त निदेशक द्वारा निर्गत अनुमति के पश्चात ही उपखनिज के चुगान / खनन कार्य प्रारम्भ करेंगे।

नियम–17 पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षणः–(1) जब खनन पट्टा दिया जाये तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा जिसके लिए पट्टेदार से निम्नलिखत दर से प्रभार लिया जायेगाः–

(क) मैदानी क्षेत्र में :–(एक) 10 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए रूपये 1000.00

(दो) 10 है0 से अधिक क्षेत्र के लिए 100.00 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से किन्तु कम से कम रूपये 1200.00

(ख) पर्वतीय क्षेत्र में (एक) 10.00 है0 तक के क्षेत्र के लिए 1600.00 रूपया ।

(दो) 10.00 है0 से अधिक के क्षेत्र के लिए 160.00 रूपया प्रति हैक्टेयर की दर से किन्तु कम से कम रूपये 2000.00।

राज्य के समस्त खनन पट्टा क्षेत्र में :–

(एक) 05 है0 क्षेत्र तक के लिए रूपये 5000.00

(दो) 05 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर तक रूपये 1000.00 की दर से, अतिरिक्त।

नियम 27 क– निविदा द्वारा पट्टा दिये जाने की प्रकिया– **(ख) (एक) (घ)** जिलाधिकारी के पक्ष में बयाने के लिए रूपये दो हजार का बैंक ड्राफ्ट।

नियम 27 क– निविदा द्वारा पट्टा दिये जाने की प्रकिया– **(ख) (एक) (घ)** जिलाधिकारी के पक्ष में बयाने के लिए रूपये पॉच हजार का बैंक ड्राफ्ट।

नियम–41 पट्टेदार की स्वतंत्रता अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के समबन्ध में निर्बधन एवं शर्ते– पट्टेदार नियम–40 के उल्लिखित स्वतंत्रता, अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित निर्बधनों एवं शर्तो के अधीन रहते हुए करेगा।

नियम–41 पट्टेदार की स्वतंत्रता अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के समबन्ध में निर्बधन एवं शर्ते– पट्टेदार नियम–40 में उल्लिखित स्वतंत्रता, अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित निर्बधनों एवं शर्तो के अधीन रहते हुए करेगा।

(अतिरिक्त प्राविधान)

(छ) नदी पुल सुरक्षा हेतु पुल से 100 मीटर अपस्ट्रीम एवं 100 मीटर डाउन स्ट्रीम क्षेत्र को प्रतिबन्धित करते हुए चुगान /खनन कार्य करेगा।

नियम–57 अनधिकृत खनन के लिये शास्तिः

जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लघंन करे व दोष सिद्व हो जाने पर दोनो में सें किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है अथवा अथ्र दण्ड से दण्डनीय होगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है अथवा दोनो दण्डो से दण्डनीय होगा।

नियम–57 अनधिकृत खनन के लिये शास्तिः

जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लघंन करे व दोष सिद्व हो जाने पर दोनो में सें किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकता है अथवा दोनो दण्डो से दण्डनीय होगा। उक्त के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/पविहन किये जा रहे खनिज/भण्डारित किये जा रहे खनिज की मात्रा पर विकय मूल्य की धनराशि आंगणित कर वसूल किया जायेगा।

नियम–70 खनिजों के परिवहन पर निर्बंधनः–

नियम–72 पुनः स्वीकृति के लिए क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जानाः–

(1) यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय–2 के अर्न्तगत खनन पट्टा के अधीन धृत था या अधिनियम की धारा–17–क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पट्टे पर दिये जाने के लिये उपलब्ध हो जाता है तो जिलाधिकारी नोटिस के माध्यम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेंगा जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और एसे क्षेत्र का ब्यौरा होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र आमत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की एक प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक–एक प्रति उस क्षेत्र के तहसीलदार और निदेशक को भी भेजी जायेंगी।

नियम–70 खनिजों के परिवहन पर निर्बंधनः–

(अतिरिक्त प्राविधान)

(7) खनिज परिवहन किये जाने वाले प्रपत्र एम. एम.–11 एवं प्रपत्र जे सम्बन्धित जनपद के ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा जारी कियें जायेंगे।

नियम–72 खनन पट्टा स्वीकृति एवं पुनः स्वीकृति के लिए क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जानाः–

(1) निजी नाप भूमि को छोडकर यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय–2 के अर्न्तगत खनन पट्टा के अधीन धृत था या अधिनियम की धारा–17–क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पट्टे पर दिये जाने के लिये उपलब्ध हो जाता है तो जिलाधिकारी नोटिस के माध्यम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेंगा जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और एसे क्षेत्र का ब्यौरा होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र आमत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की एक प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक–एक प्रति उस क्षेत्र के तहसीलदार और निदेशक को भी भेजी जायेंगी।

(अतिरिक्त प्राविधान)

(4) निजी नाप भूमि में विज्ञप्तिकरण की कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को आवेदन करने पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर खनन निदेशक की संस्तुति के उपरान्त खनन पटटा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(5) निजी नाप भूमि से इतर खनन क्षेत्रों हेतु जिलाधिकारी के द्वारा विज्ञप्तिकरण के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किये जायेंगे। निदेशक की संस्तुति पर खनन पट्टे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 उद्योग/697–2011–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

प्रेषक,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

ख खान नियत्रंक एवं प्रभारी अधिकारी,
भारतीय खान ब्यूरो 108 नेहरू नगर–2
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या 140 /विविध/खान ब्यूरो/भू0खनि0इ0/2011–12, दिनांक 26 अप्रैल 2012

विषय: गत तीन वर्षो में उत्तराखण्ड राज्य में स्वीकृत प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स के ब्यौरे के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 613(42)/10–देदून दिनांक 16–03–2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गत तीन वर्षो में उत्तराखण्ड राज्य में स्वीकृत प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स का ब्यौरा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के कम में वॉछित सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नन: यथोपरि।

भवदीय,

25/4/12

(एस0एल0 पैट्रिक)
ज्येष्ठ खान अधिकारी।

प्रा० ला० P.L

गत तीन वर्षों में उत्तराखण्ड राज्य में स्वीकृत प्रोसपेक्टिंग लाइसेंस का ब्यौरा

क्र0स 0	पी0एल क्षेत्र का नाम	खनिज	जिला	क्षेत्रफल	स्वीकृति की तिथि	अवधि	निष्पादन की तिथि	टिप्पणी
1-	श्री गोविन्द सिंह रौतेला ग्राम पालीचक टिटोली तहसील व जनपद बागेश्वर	सोपस्टोन	बगेश्वर	4.620 है0	शासनादेश सं0 2180/VII-I-II/36ख/2005 दिनांक 22-12-2011	01 वर्ष	शासनादेश सं0 2541/VII-I-II/36ख/2005 दिनांक 24-12-2011	
2-	श्री माधोसिंह पपोला ग्राम गुलमपरगढ, तहसील व, जिला बागेश्वर।	सोपस्टोन	बगेश्वर	40.6 एकड़	शासनादेश सं0 2865/VII-I-II/149ख/2006 दिनांक 31-1-2010	01 वर्ष	शासनादेश सं0 860/VII-I-II/149ख/2006 दिनांक 30-05-2011	
3-	श्री पूरनचन्द तिवारी ग्राम भीडी जनपद बागेश्वर।	सोपस्टोन	बागेश्वर	4.174 है0	शासनादेश सं0 2865/VII-I-II/149ख/2006 दिनांक 31-1-2010	01 वर्ष	शासनादेश सं0 860/VII-I-II/149ख/2006 दिनांक 30-05-2011	
4-	श्री पूरन चन्द्र तिवारी पुत्र श्री दुर्गादत्त तिवारी ग्राम गैरखेत जिला बागेश्वर	सोपस्टोन	बागेश्वर	4.795 है0	शासनादेश सं0 1100/VII-I-II/26ख/2005 दिनांक 08-6-2011	01 वर्ष	शासनादेश सं0 1267/VII-I-II/26ख/2005 दिनांक 05-8-2011	
5-	श्री रमेश सिंह माजिला ग्राम जल्थाकोट तहसील व जनपद बागेश्वर	सापेस्टोन	बगेश्वर	4.056 है0	शासनादेश सं0 662/VII-I-II/106ख/2009 दिनांक 12-5-2011	01 वर्ष	शासनादेश सं0 1039/VII-I-II/106ख/2009 दिनांक 01-6-2011	
6-	श्रीमती आशा गडिया ग्राम कुरोली टोटीगाड तहसील व जनपद बागेश्वर	सोपस्टोन	बगेश्वर	4.196 है0	शासनादेश सं0 2215/VII-I-II-11-23-ख/2008 दिनांक 24 नवम्बर 2011	01 वर्ष	शासनादेश सं0 2484/VII-I-II-11-23-ख/2008 दिनांक 21 दिसम्बर 2011	मु0ख0/9/
7-	श्री सुरेश सिंह शाही ग्राम नयाल धपोला तहसील व जिला बागेश्वर।	सोपस्टोन	बागेश्वर	4.868 है0	शासनादेश सं0 1055/ VII-I-07/144-ख/2005, दिनांक 04जून 2010	0 1 वर्ष	शासनादेश सं0 2132/ VII-I-07/144-ख/2005, दिनांक 11-11-2010	

क्रमशः -2-

8-	श्री ठाकुर सिंह पडिया ग्राम नरगडा तहसील कपकोट जनपद बोश्वर	सोपस्टोन	बगेश्वर	14.494 है0	शासनादेश सं0 2452/ VII-I-11/262-ख/2002, दिनांक 22-12-2011	01 वर्ष	शासनादेश सं0 2530/ VII-I-11/262-ख/2002, दिनांक 23-12-2011
9-	श्री प्रकाश सिंह धपोला ग्राम तल्ला धपोली तहसील व जिला बागेश्वर	सोपस्टोन	बगेश्वर	7.503 है0	शासनादेश सं0 996/VII-I-05/196-ख/2004, दिनांक 06 जून 2011	01 वर्ष	शासनादेश सं0 1190/VII-I-05/196-ख/2004, दिनांक 02 अगस्त2011
10-	श्री चन्द्र भान धपोला तहसील व जनपद बागेश्वर के ग्राम सैला	सोपस्टोन	बगेश्वर	4.267 है0	शासनादेश सं0 1874/VII-I-10/117-ख/2001, दिनांक 03-8-2010	01 वर्ष 01 वर्ष	शासनादेश सं0 577/VII-I-10/198-ख/2001, दिनांक 25 मार्च 2011
11-	श्री बलवन्त सिंह भोर्याल ग्राम रखोलगांव व सिरालागांव	सोपस्टोन	बागेश्वर	4.976 है0	शासनादेश सं0 788/ VII-I-07/198-ख /2001, दिनांक 11 मई, 2011	01 वर्ष	शासनादेश सं0 577/VII-I-/2009 25-3-2011
12-	मै0 बालाजी मिनरल्स प्रा0 इन्दरलाल ग्राम चकपहरूडा	सोपस्टोन	बगेश्वर	4.168 है0	शासनादेश सं0 775/ VII-I-10/252-ख/2001, दिनांक 23-12-2011	01 वर्ष	शासनादेश सं0 2515/ VII-I-10/252-ख/2001, दिनांक 23-12-2011
13-	श्री कान्ती लाल साह पुत्र श्री गिरधारी लाल साह ग्राम लोहारखेत व धपोली तहसील कपकोट	सोपस्टोन	बगेश्वर	4.295 है0	शासनादेश सं0 1411/ VII-I-10/253-ख/2001, दिनांक 19-8-2011	01 वर्ष	शासनादेश सं0 1960/ VII-I-10/253-ख/2001, दिनांक 05-9-2011
14-	मैसर्स के0एस0 मिनरल्स जनपद पिथौरागढ़ तहसील	सोपस्टोन	पिथौरागढ़	11.176 है0	शासनादेश सं0 404/ VII-I-	01	शासनादेश सं0 404/ VII-

क्रमशः--3--

	भगोजीहाट के ग्राम भरसारी		ढ।		10/177-ख/20010, दिनांक 17-3-2010	वर्ष	I-10/177-ख/20010, दिनांक 17-3-2010	
15	श्री भवानीदत्त ग्राम रीठा तहसील बेरीनाग जनपद पिथौरागढ	सोपस्टोन	पिथौरागढ	4.960 है0	शासनादेश सं0 13034/ VII-I-10/192-ख/2010, दिनांक 03-5-2010	01 वर्ष	शासनादेश सं0 1929/ VII-I-10/192-ख/2010, दिनांक 13-8-2010	

क्रमशः -4--

16-	श्री रामविजय व श्री राजेशगिरी ग्राम गुलोतोक गुरूछुटी	सोपस्टोन	बागेश्वर	4.940 है0	शासनादेश सं0 2407/VII-1/182 ख दिनांक 16-12-2011	01 वर्ष	शासनादेश सं0 2497/VII-1/182 ख दिनांक 23-12-2011	
17-	श्री आनन्द कालाकोटी ग्राम ककडात जनपद व तहसील बागेश्वर	सोपस्टोन	बगेश्वर	4.754 है0	शासनादेश सं0 2216/VII-1/93 ख दिनांक 22-12-2011	01 वर्ष	शासनादेश सं0 661/VII-1/93 ख दिनांक 06-6-2011	

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय,उत्तराखण्ड
पोस्ट बड़ासी भोपाल पानी देहरादून।

सेवा में,

महानियंत्रक/मिनरल इक्नामिस्ट,
भारतीय खान ब्यूरो,
इन्दिरा भवन सिविल लाइन,
नागपुर (महाराष्ट्र)।

संख्याः 1714/भा0खा0व्यूरो/खनन प0सू0/2010–11 दिनांक 20 जनवरी,2011

विषयः– Request for consolidated Annual Return in Proforma A,B and C under Rule **57[2] of MCR, 1960 Viz. Mining Leases/Prospectiong Licences and Reconnaissance Permits granted/executed/renewed as on 31.3.2011 and in proporma 'D' all the Existing Mining Leases upto 31.3.2011.**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 206/AR/ML/ME(I)/2010 दिनांक 29–12–2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा–57 (1) के अर्न्तगत निर्धारित प्रपत्र ABC ,एवं खनिज परिहार नियमावली,1960 के अर्न्तगत 'D' निर्धारित प्रपत्र पर उत्तराखण्ड राज्य में खनन पट्टा /प्रोस्पेक्टिंग लइसेंस/रिकोन्सालेशन परिमिट के सम्बन्ध में तथा दिनांक 31–03–2011 तक खनन पट्टा/प्रा0ला0/रिकोन्सालेशन परमीट निष्पादित एवं नवीनीकरण के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है।

अतः उक्त वॉछित सूचना इस पत्र के साथ सलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि ।

भवदीय,

18/1/12

(एस0एल0 पैट्रिक)
ज्येष्ठ खान अधिकारी।

M·L

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

PROFORMA-D

A Consolidated Statement Listing All the Leases Up to 31st March, 201

जनपद बागेश्वर

Mineral	Name & Address of Lessee	Location of lease (Village, Taluka, Post office, Railway Station. and District)	Lease Area (hects.	Date of Grant of lease (original and subsequent renewals)	Date of execution (original and subsequesnt renewal)	Period (years)	Date of expiry	Status working Non working	विभागीय पत्रावली संख्या एवं टिप्पणी
लापस्टान	श्री किशोर शर्मा, निवासी ए–1/232, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली खनन पट्टा हस्तान्तरण मै0 एच0डी0 फारकोरेशन, निवासी ए–1/232, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	ग्राम मुस्योली, तहसील व जिला बागेश्वर।	2.372 है0	शासनादेश सं0 508/77 –5– 2000 –एम (406) 94, दिनांक 30 मार्च, 2000 शासनादेश सं0 1224/सात /04–109–ख/2003, दिनांक 06 अगस्त, 2004	शासनादेश सं0 4413/ 77–5– 2000 –एम (406) 94, दिनांक 14 अगस्त, 2000 पंजीकरण दिनांक 18–08–2006 शासनादेश सं0 2077/ सात /2004–109–ख/ 03, दिनांक 09 सितम्बर, 2004 पंजीकरण दिनांक 01–10–2004	20 वर्ष	17–08–2020	खनन कार्य हो रहा है	मु0ख0/49/बाग0/खनन / 2010–11
तापस्टान	मै0 अल्मोड़ा मेग्नेसाईट लि0, मेग्नेसाईट हाऊस, रानीधारा रोड, अल्मोड़ा।	ग्राम बिडग, तहसील व जिला बागेश्वर।	5.37 है0	शासनादेश सं0 2371/ साथ/2004–275–ख/ 2004, दिनांक 11 नवम्बर, 2004	शासनादेश सं0 3219/ साथ/05/275–ख/ 2002, दिनांक 05 अक्टूबर, 2005 पंजीकरण दिनांक 07–10–2005	20 वर्ष	06–10–2025	खनन कार्य हो रहा है।	मु0ख0/50/बाग0/खनन /2010–11
ापस्टान	श्री दीवान सिं पपोला पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, निवासी	ग्राम उडियार, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर।	2.407 है	शासनादेश सं0 1836/औ0 वि0/91–ख/2001,	पंजीकरण दिनांक	20 वर्ष	2010	खनन कार्य हो रहा है।	मु0ख0/51/बाग0/खनन / 2010–11

	ग्राम पपाली, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर।			दिनांक 04–08–2001					
सोपस्टोन	श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री विजय सिंह भौर्याल, निवासी ग्राम कुरौली, पोस्ट सनेती, पट्टी नाकुरी, तहसील व जिला बागेश्वर। खनन पट्टा हस्तान्तरण श्री महेश सिंह भौर्याल पुत्र श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, निवासी ग्राम कुरौली, पोस्ट सनेती, तहसील व जिला बागेश्वर।	ग्राम सिरालागौंव तहसील व जिला बागेश्वर।	5.80 हे0	शासनादेश सं0 3464/18–11–96–5, (426)/93, दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 शासनादेश सं0 619/VII-I-10/79–ख/2006, दिनांक 01 अप्रैल, 2010 के द्वारा स्थान्तरण किया गया।	शासनादेश सं0 1055/18–11–97–5 (426)/93, दिनांक 03 अप्रैल, 1997 पंजीकरण दिनांक 15–04–1997 शासनादेश सं0 1025/VII-I-10/79–ख/2006, दिनांक 03 अप्रैल, 2010 पंजीकरण दिनांक 15–05–2010	20 वर्ष	14–04–2017	खनन कार्य हो रहा है।	मु0ख0/02/बागे0/खनन/2005–06
गोपस्टोन	श्री धन सिंह पुत्र श्री खीम सिंह, निवासी ग्राम बाफिला, पोस्ट सनेती, जिला बागेश्वर।	ग्राम टाडाईजर/रेखोलागांव, तहसील व जिला बागेश्वर।	3.16 एकड़ अर्थात 1.27 हे0	शासनादेश सं0 274/औ0वि0/16–ख/2001, दिनांक 21 जुलाई, 2001	20–01–2001	20 वर्ष	20–07–2021	खनन कार्य हो रहा है।	मु0ख0/52/खनन/बागे0/2010–11
गोपस्टोन	श्री दरबान सिंह परिहार पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी ग्राम उड़लगांव, पोस्ट मोस्टगॉव, जनपद बागेश्वर।	ग्राम गणुवासरमोली, तहसील व जिला बागेश्वर।	14.35 एकड़ अर्थात 5.80 हे0	शासनादेश सं 1116/सात/123–ख/2004, दिनांक 19 जुलाई, 2004	शासनादेश सं0 136/सात/123–ख/2003, दिनांक 22 नवम्बर, 2004 पंजीकरण दिनांक 12–10–2004	20 वर्ष	11–10–2024	खनन कार्य हो रहा है।	मु0ख0/53/खनन/बागे0/2010–11
गोपस्टोन	श्री जगदीश सिंह कालाकोटी पुत्र श्री हीरा सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम छातीखेत, पटवारी क्षेत्र	ग्राम झाड़कोट, तहसील व जिला बागेश्वर।	1.655 हे0		शासनादेश सं0 2895/औ0वि0–169–ख/2001, दिनांक 15 फरवरी, 2002	20 वर्ष	14–02–2022	खनन कार्य हो रहा है।	मु0ख0/54/खनन/बागे0/2010–11

	चोरा, तहसील व जिला बागेश्वर।								
सोपस्टोन	मै0 एम0 आर0 मिनरल्स द्वारा किसान इण्डस्ट्रीज, आर्य समाज रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।	ग्राम जोशीगांव, तहसील व जनपद बागेश्वर।	3.60 एकड़ अर्थात 1.45 है0	शासनादेश सं0 2173/औ0 वि0/179-ख/2002, दिनांक 14-01-2002	शासनादेश सं0 687/औ0वि/179-ख/2003/01, दिनांक 16 अक्टूबर, 2003 पंजीकरण दिनांक	20 वर्ष	15-04-2003	खनन कार्य हो रहा है।	मु0ख0/56/बाग0/खनन/2010-11
सोपस्टोन	श्री सुनील कुकार पेटशाली पुत्र श्री युगल किशोर पेटशाली, निवासी ग्राम व पोस्ट चितई, जिला अल्मोड़ा	ग्राम लीती, तहसील व जिला बागेश्वर।	0.8813 है0	शासनादेश सं0 4324/18-11-97-5 (426)/94, दिनांक 30 सितम्बर, 1997	शासनादेश सं05484/77-5-2000-5 (426)/94, दिनांक 07 नवम्बर, 2000	30 वर्ष	06-11-2030	खनन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के भूमि सम्बन्धी विवाद के कारण।	मु0ख0/52/बाग0/खनन/2006-07
सोपस्टोन	श्री ठाकुर सिंह गड़िया पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी ग्राम किरौली, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर।	ग्राम उडियार, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर।	2.171 है0	शासनादेश सं0 888/77-5-2000-5 (26)/95, दिनांक 16 मार्च, 2000	शासनादेश सं0 3004/77-5-2000-5 (26)/95, दिनांक 05-08-2000 पंजीकरण दिनांक 19-08-2000	30 वर्ष	18-08-2030	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/61/बाग0/खनन/2010-11
सोपस्टोन	श्री गोविन्द सिंह महरा पुत्र स्व0 श्री शेर सिंह महरा, निवासी ग्राम चौनाला, जिला बागेश्वर। **एवं** श्री कुन्जर सिंह रैखोला पुत्र श्री नन्दन सिंह रैखोला, निवासी ग्राम रैखोलागांव, जिला बागेश्वर।	ग्राम ठाडाईजर, तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर।	4.700 है0	शासनादेश सं0 1084/VII-I-10/246-ख/2006, दिनांक 06 मई, 2010	शासनादेश सं0 1329/VII-I-10/246-ख/2006, दिनांक 26 मई, 2010 पंजीकरण दिनांक 31-05-2010	20 वर्ष	30-05-2030	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/98/बाग0/खनन/2006-07
सोपस्टोन	श्री विपिन सिंह राणा पुत्र श्री नारायण सिंह राणा, निवासी साई बाबा कालोनी, पश्चिमी पाखर खाली,	ग्राम ओलिया गाव, तहसील व जनपद बागेश्वर।	5.10 एकड अर्थात 2.06 है0	शासनादेश सं0 3247/18-11-96-5 (34)/95, दिनांक 12 दिसम्बर, 1996	शासनादेश सं0 2405/18-11-97-5 (34)/95, दिनांक 11 जून, 1997, पंजीकरण दिनांक	20 वर्ष	04-09-2017	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/55/बाग0/खनन/2010-11

	जनपद अल्मोड़ा। खनन पट्टा हस्तान्तरण मेसर्स अम्बा माइन्स एण्ड मिनरल्स (पार्टनर श्री नवल किशोर जोशी पुत्र श्री हीरा बल्लभ जोशी तथा श्री लोकेश जोशी पुत्र श्री नवल किशोर जोशी) हरिकेतन, नवाबी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल।			शासनादेश सं0 487/VII-I/183-ख/2007, दिनांक 25 मार्च, 2010 संशोधित शासनादेश सं0 1107/VII-I-10/183-ख/2007, दिनांक 06 मई, 2010 के द्वारा स्थानान्तरण किया गया।	05-09-1997 शासनादेश सं0 1396/VII-I-10/183-ख/2007, दिनांक 04 जून, 2010 पंजीकरण दिनांक 07-06-2010				
सोपस्टोन	सर्वश्री कटियार माइनिंग एण्ड इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, 322/12, शास्त्रीनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश।	ग्राम सुरकाली, स्यूनी, दयाली आदि जिला अल्मोड़ा हाल बागेश्वर।	235.60 है0 क्षेत्रफल संशोधित 139.372 है0	शासनादेश सं0 2301/18-12-215/78, दिनांक 25-04-1980 संशोधित शासनादेश सं0 4851/18-11-95-215/78, दिनांक 22 दिसम्बर, 1995 शासनादेश सं0 3738/18-11-96-215/78, दिनांक 24 दिसम्बर, 1996 के द्वारा हस्तान्तरण	शासनादेश सं0 951/18-11-96-215/78, दिनांक 29 मार्च, 1996 पंजीकरण दिनांक शासनादेश सं0 2909/18-11-98, दिनांक 15 जुलाई, 1998 अनुपूरक पट्टा विलेख का निष्पादन दिनांक 07 जुलाई, 1998 को किया गया। पंजीकरण दिनांक 23-09-1998	20 वर्ष	17-03-2016	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/62/बागे0/खनन/2010-11 शासनादेश सं0 3738/18-11-96-215/78, दिनांक 24 दिसम्बर, 1996 के द्वारा ग्राम सुरकाली स्यूनी व दयाली के 139.372 है0 क्षेत्र में सोपस्टोन खनन हेतु मे0 कटियार माइनिंग इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन के पक्ष में दिनांक 18 मार्च 1996 से 17 मार्च, 2016 तक 20 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत खनन पट्टा के 25

									प्रतिशत अंशधारक श्री राशन लाल शर्मा को खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम–37 के प्राविधानों के अन्तर्गत उनके 25 प्रतिशत अंश की भागीदारी का श्रीमती कमलेश कटियार मै0 कटियार माइनिंग एण्ड इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।
सोपस्टोन	श्री उम्मेद सिंह कालाकोटी पुत्र श्री प्रेम सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम मजियाखेत, तहसील एवं जिला बागेश्वर।	ग्राम विजेपुर, तहसील व जिला बागेश्वर।	3.080 है0	शासनादेश सं0 4845/18–11–98–242/91, दिनांक 14 जुलाई, 1998	शासनादेश सं0 1325/77–5–99–242/91, टी0 सी0, दिनांक 05 मार्च, 1999 पंजीकरण दिनांक 22–03–1999	20 वर्ष	21–03–2019	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/63/बाग0/खनन/2010–11
सोपस्टोन/ मेग्नेसाईट	श्री उम्मेद सिंह कालाकोटी पुत्र श्री प्रेम सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम मजियाखेत, तहसील एवं जिला बागेश्वर।	ग्राम मेठरा, जिला बागेश्वर	5.24 एकड अर्थात 2.12 है0	शासनादेश सं0 4769/77–5–2000–5 (82)/96, दिनांक 03 अक्टूबर, 2000	शासनादेश सं0 1110/औ0वि0/2001, दिनांक 08 जून, 2001 पंजीकरण दिनांक	20 वर्ष	07–06–2020	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/16/बाग0/खनन/2007–08
सोपस्टोन	श्री कुंवर सिंह दफौटी पुत्र श्री भगवत सिंह दफौटी, निवासी नुमाईश लाइन, जनपद बागेश्वर। पट्टाधारक की मृत्यु के उपरान्त खनन पट्टा हस्तान्तरण श्रीमती निर्मला दफौटी पत्नी स्व0 श्री कुंवर सिंह	ग्राम पोखरी, जिला बागेश्वर।	4.80 एकड अर्थात 1.94 है0	शासनादेश सं0 5574/77–5–99–5. (6)/95, दिनांक 04–01–2000 शासनादेश सं0 1599/सात/2004–155–ख/04, दिनांक 16 नवम्बर, 2004 के द्वारा खनन पट्टा का	शासनादेश सं0 2213/77–5–2000–5 (6)/95, दिनांक 30 जुलाई, 2000 पंजीकरण दिनांक शासनादेश सं0 3642/सात–1/155–ख/04, दिनांक 15 फरवरी, 2005,	20 वर्ष	29–07–2020	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/03/बाग0/खनन/2010–11

	दफोटी, निवासी नुमाईस लाईन, जनपद बागेश्वर।			हस्तान्तरण।	पंजीकरण दिनांक				
सोपस्टोन	श्री रामचन्द्र भट्ट तथा नारायण दत्त भट्ट पुत्र श्री महादेव भट्ट, निवासी ग्राम आरतोला, पोस्ट आरतोला, तहसील व जनपद अल्मोड़ा। खनन पट्टा हस्तान्तरण श्री रामचन्द्र भट्ट पुत्र श्री महादेव भट्ट, निवासी ग्राम आरतोला, पोस्ट पनुवानौला, जिला अल्मोड़ा। पट्टाधारक की मृत्यु के उपरान्त खनन पट्टा हस्तान्तरण श्रीमती खिमुली देवी भट्ट पत्नी स्व0 श्री रामचन्द्र भट्ट, निवासी ग्राम आरतोला, पोस्ट पनुवानौला, जिला अल्मोड़ा।	ग्राम जगथली, काण्डे कन्याल, तहसील व जिला बागेश्वर।	9.50 एकड़ अर्थात 3.84 है0	शासनादेश सं0 4395/18-11-97-5 (417)/94, दिनांक 30 सितम्बर, 1997 शासनादेश सं0 127/औ0वि0/30-ख/2004, दिनांक 16 मार्च, 2004 के द्वारा पट्टा हस्तान्तरण किया गया। शासनादेश सं0 3251/VII-I-08/30-ख/2004, दिनांक 30 सितम्बर, 2008 के द्वारा पट्टा हस्तान्तरण किया गया।	शासनोश सं0 3775/77-5-99-एम-5 (417)/95, दिनांक 07 जुलाई, 1999 पंजीकरण दिनांक 19-07-1999 शासनादेश सं0 727/औ0वि0/30-ख/2004, दिनांक 30 अप्रैल, 2004 पंजीकरण दिनांक 31-05-2004 शासनादेश सं0 3542/VII-I-08/30-ख/2004, दिनांक 23 अक्टूबर, 2008 पंजीकरण दिनांक 04-11-2008	30 वर्ष	18-07-2029	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/106/बाग0/खनन/2006-07
सोपस्टोन	श्री पी0सी0 पाठक, प्रो0 सर्वश्री हेडाखान मिनरल्स, ग्राम सलना, पोस्ट शीतलाखेत, जिला अल्मोड़ा।	ग्राम बैकोड़ी, तहसील व जनपद बागेश्वर।	5.25 एकड़ अर्थात 2.12 है0	शासनादेश सं0 5348/77-5-2000-5 (501)/94, दिनांक 19 अक्टूबर, 2000	शासनादेश सं0 6090/77-5-2000-5 (501)/94, दिनांक 04 नवम्बर, 2000	20 वर्ष	03-11-2020	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/01/बाग0/खनन/2006-07
सोपस्टोन	सर्वश्री पर्वतीय माइन्स, डी-12, दीनदयाल नगर, कॉठ रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।	ग्राम कुनौली, मुन्योरा आदि तहसील व जनपद बागेश्वर।	52.34 है0	शासनादेश सं0 5020/77-5-2000-5 (29)/95, दिनांक 12 अक्टूबर, 2000	शासनादेश सं0 6094/77-05 (29)/95, दिनांक नवम्बर, 2000	30 वर्ष	नवम्बर, 2030	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/167/बाग0/खनन/2010-11

सोपस्टोन	श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम दोफाड, तहसील व जिला बागेश्वर।	ग्राम पपा, तहसील व जिला बागेश्वर।	2.81 एकड़ अर्थात 1.13 है0	शासनादेश सं0 2424/औ0 वि0/74–ख/2001, दिनांक 08 जनवरी, 2002	शासनादेश सं0 2914/औ0 वि0–1 /74–ख/2001, दिनांक 19 फरवरी, 2002	20 वर्ष	18–02–2022	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/65/बाग0/खनन/2010–11
सोपस्टोन	श्री विक्रम सिंह शाही पुत्र श्री भवान सिंह शाही, निवासी ग्राम व पोस्ट असौं, तहसील कपकोट, जिकला बागेश्वर।	ग्राम बटालगांव, तहसील कपकोट, जिकला बागेश्वर।	8.30 एकड़ अर्थात 3.358 है0	शासनादेश सं0 589/77–5–2000–5 (70)/95, दिनांक 20 जुलाई, 2000	शासनादेश सं0 5055/77–5–2000–5 (70) /95, दिनांक 30 सितम्बर, 2000 पंजीकरण दिनांक 29–03–2003	20 वर्ष	16–10–2020	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/64/बाग0/खनन/2010–11
सोपस्टोन	श्री शेर सिंह धपोला पुत्र श्री बची सिंह धपोला, निवासी ग्राम व तहसील व जिला बागेश्वर।	ग्राम धपोलासेरा, तहसील व जिला बागेश्वर।	4.90 एकड़ अर्थात 1.98 है0	शासनादेश सं0 1612/औ0 वि0/73–ख/2001, दिनांक 27 अक्टूबर, 2001	शासनादेश सं0 3356/औ0वि0/73–ख/2001 /03, दिनांक 26 फरवरी, 2003 पंजीकरण दिनांक 29–03–2003	20 वर्ष	28–03–2023	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/63/बाग0/खनन/2020–11
सोपस्टोन	श्री खीम सिंह मेहता, निवासी ग्राम रतायस, पोस्ट पपों, जिला बागेश्वर।	ग्राम रतायस, जनपद बागेश्वर।	2.01 एकड़ अर्थात 0.81 है0	शासनादेश सं0 6876/77–5–99–5 (39)/95, दिनांक 04–01–2000	शासनादेश सं0 1671/77–5–2000–5 (39)/95, दिनांक 25 मार्च, 2000 पंजीकरण दिनांक	20 वर्ष	2020	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/67/बाग0/खनन/2010–11
सोपस्टोन	श्री लक्ष्मी दत्त तिवारी, निवासी आगर, पोस्ट मेसड़गांव, जिला अल्मोड़ा (वर्तमान में बागेश्वर)	ग्राम शीशाखानी, जिला बागेश्वर।	9.14 है0 11.00 एकड़ अर्थात 4.45 है0	शासनादेश सं0 2295/18–च –एम–157/70, दिनांक 04 सितम्बर, 1971 पट्टा विलेख का निष्पादन दिनांक 31 जुलाई, 1972 नवीनीकरण शासनादेश सं0 425/18–11–95–एम–157/70, दिनांक 14	शासनादेश सं0 102/18–11–97, दिनांक 23 जनवरी, 1997	20 वर्ष	–	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/72/बाग0/खनन/2010–11

	खनन पट्टा हस्तान्तरण सर्व श्री प्रकेटश्वर मिनरल्स, हल्द्वानी, नैनीताल। खनन पट्टा हस्तान्तरण श्री कुन्दन सिंह नेगी पुत्र श्री दीवान सिंह नेगी, निवासी सी0 ब्लाक, जज फार्म, हल्द्वानी, नैनीताल।			दिसम्बर, 1995 पट्टा हस्तान्तरण शासनादेश सं0 530/18-11-96-एम-157/70, दिनांक 19 मार्च, 1996, रशोधित शासनादेश सं0 530/18-11-96- एम-157 /70, दिनांक 19 अगस्त, 1996 पट्टे का हस्तान्तरण शासनादेश सं0 215 /VII-I/06/61-ख/04, दिनांक 01-04-2006	शासनादेश सं0 5866/77-5-2000-157/70, दिनांक 08 नवम्बर, 2000 शासनादेश सं0 3656/VII-I/06/61-ख/04, दिनांक 27 सितम्बर, 2006, पंजीकरण दिनाक 06-11-2006				
सोपस्टोन	श्री इन्दर लाल बजरंग मिनरल्स, बैजनाथ, जनपद अल्मोड़	ग्राम जखेड़ा, तहसील व जनपद बागेश्वर।	12.30 एकड़ अर्थात 4.97 है0	शासनादेश सं0 4603/18-11-97-5 (8)/95, दिनांक 01 अक्टूबर, 1997	शासनादेश सं0 7093/18-11-97-5 (8)/95, दिनांक 19 जनवरी, 1998	20 वर्ष	18-01-2018	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/69/बागे0/खनन/2010-11
सोपस्टोन	श्री एन0सी0 तिवारी, निवासी 5/64, जगदम्बा नगर, हल्द्वानी, नैनीताल। खनन पट्टा हस्तान्तरण मै0 श्रीराम भरत माईन्स, रामपुर रोड़ हल्द्वानी, पार्टनर क्रमशः श्री मनोज डांगा पुत्र श्री नरेन्द्र डांगा एवं श्री राहुल वार्ष्णेय पुत्र	ग्राम धपोली, तहसील व जनपद बागेश्वर।	25.52 एकड़ अर्थात 10.32 है0	शासनादेश सं0 3037/18-11-96-412/85, दिनांक 04 दिसम्बर,1996 शासनादेश सं0 1315/VII-I/25-ख/2007, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007	शासनादेश सं0 1649/18-11-97-412/85, दिनांक 19 मई, 1997 शासनादेश सं0 6798/VII-I/25-ख/2007, दिनांक 20 दिसम्बर, 2007	30 वर्ष	08-06-2027	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/13/बागे0/खनन/2007-08

	श्री दया शंकर वार्ष्णेय, निवासी हल्द्वानी, जिला नैनीताल।								
पिस्टोन	मे0 एन0एस0 कारपोरेशन, 22 कैनिंग स्ट्रीट कलकत्ता	ग्राम किरौली, जिला बागेश्वर	216.25 एकड	शासनादेश स0 4137/एम/अठारह–12, दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 पट्टे का नवीनीकरण शासनादेश स0 4137/एम/अठारह–12, दिनांक 15 दिसम्बर, 1972	दिनांक 23–03–1974 को पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया। पंजीकरण दिनांक 24–04–1974 शासनादेश स0 2485/18–12–5/439/94, दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 नवीकरण का पंजीकरण दिनांक 28–06–1995	20 वर्ष 20 वर्ष	– 22–04–2014	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/68/बागे0/खनन/2010–11
पिस्टोन	श्री कृष्ण सिंह परिहार पुत्र श्री देव सिंह, निवासी ग्राम खोली, पास्ट भटौली, जिला बागेश्वर।	ग्राम काण्डे कन्याल, जिला बागेश्वर।	2.72 एकड अर्थात 1.00 हे0	शासनादेश स0 3471/77–5–98–एम–5 (412)/94, दिनांक 26 नवम्बर, 1998	शासनादेश स0 5302/77–5–98–एम–5 (412)/94, दिनांक 24 सितम्बर, 1999 पंजीकरण दिनांक 11–11–1999	20 वर्ष	10–11–2019	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/64/बागे0/खनन/2010–11
पिस्टोन	श्री गंगा प्रसाद पाण्डे, निवासी ग्राम बासतोली, ढूंगापन्त, जनपद बागेश्वर।	ग्राम बासतोली ढूंगापन्त, जिला बागेश्वर।	4.16 एकड अर्थात 1.68 हे0	शासनादेश स0 4335/77–5–99–5 (55)/96, दिनांक 16 जुलाई, 1999	शासनादेश स0 6147/77–5–99–5 (55)/96, दिनांक 25 अक्टूबर, 1999, पंजीकरण दिनांक 11–11–1999	20 वर्ष	10–11–2010	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/71/बागे0/खनन/2010–11
पिस्टोन	श्री हरक सिंह कनवाल पुत्र श्री देव सिंह कनवाल, निवासी ग्राम दलभा, जिला	ग्राम डुंगापाटली, तहसील व जनपद बागेश्वर।	13.355 हे0	शासनादेश स0 3453/18–11–95–5 (418)/94, दिनांक 16 अक्टूबर, 1995	शासनादेश स0 1246/18–11–95–5 (418)/94, दिनांक 04 अप्रैल,	20 वर्ष	16–04–2016	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/71/बागे0/खनन/2010–11

	बागेश्वर।				1996				
सापस्टान	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री नर सिंह, निवासी ग्राम किड़ई, पट्टी होराली, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर। खनन पट्टा हस्तान्तरण मै0 नॉलिंग मिनरल्स के पार्टनर कमशः श्री लक्ष्मण सिंह चौहान पुत्र श्री नर सिंह, श्री हरीश चन्द्र उप्रेती पुत्र श्री बिन्देश्वरी प्रसाद उप्रेती, श्री पूरन सिंह गड़िया पुत्र श्री मदन सिंह गड़िया एवं श्री गजेन्द्र सिंह सामन्त पुत्र श्री पुष्कर सिंह सामन्त	ग्राम किड़ई, जिला बागेश्वर।	3.73 एकड़ अर्थात 1.508 है0	शासनादेश सं0 1235/77-5-2000-5 (417)/92, दिनांक 17 मई, 2000 पट्टा हस्तान्तरण शासनादेश सं0 544/VII-I/189-ख/2000, दिनांक 12 मार्च, 2010	शासनादेश सं0 5091/77-5-2000-5 (417)/92, दिनांक 10 अक्टूबर, 2000 पंजीकरण दिनांक 28-07-2000 शासनादेश सं0 1793/VII-I/189-ख/2000, दिनांक 14 जुलाई, 2010	20 वर्ष	27-07-2020	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/16/बाग0/खनन/2008-09
सापस्टान	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री विद्या रतन, निवासी 8/6, कैनाल रोड, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।	ग्राम टाटीगाड़, जिला बागेश्वर।	7.03 एकड़ अर्थात 2.848 है0	शासनादेश सं0 1739/77-5-2000-5 (51)/95, दिनांक 01-08-2000	शासनादेश सं0 6068/77-5-2000-5 (51)/95, दिनांक 07 नवम्बर, 2000 पंजीकरण दिनांक	20 वर्ष	06-11-2020	–	मु0ख0/05/बाग0/खनन/2010-11
ग्नेसाईट	मै0 यू0पी0एस0 आई0 डी0सी0	ग्राम झिरोली, जनपद बागेश्वर। गिरीछिना	452.05 एकड़ 116.64 एकड़ 868.73 एकड़ अर्थात 351.57 है0	शासनादेश सं0 1491 (1)/XVIII-BM/57, दिनांक 07-09-62		20 वर्ष		खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/35/बाग0/खनन/2006-07

									जारी किया गया।
सोपस्टान	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, मै0 कुमायूँ मिनरल्स इण्डस्ट्रीज, भवानीगंज, हल्द्वानी, नैनीताल। श्रीमती नन्दिता तिवारी पत्नी स्व0 श्री जे0सी0 तिवारी, निवासी त्रिरूपति मल्ली बमौरी, हल्द्वानी, नैनीताल।	ग्राम पंगचौडा, लोहारखेत, जिला बागेश्वर।	49.70 है0	शासनादेश सं0 4380/18-12-291/72, दिनांक 21 अगस्त, 1976 प्रथम नवीनीकरण शासनादेश सं0 2545/18-12-325/82, दिनांक 21 अप्रैल, 1987 तृतीय नवीनीकरण शासनादेश सं0 1417/VII-I/06/247-ख/2002, दिनांक 23 मई, 2006		5 वर्ष	– प्रथम नवीनीकरण दिनांक 09-03-1983 से 15-05-1992 तक	–	मु0ख0/14/बागे0/खनन/2005-06 शासनादेश सं0 1417/VII-I/06/247-ख/2002, दिनांक 23 मई, 2006 के द्वारा तृतीय नवीनीकरण हेतु आश्य पत्र जारी किया गया।
स्टान	श्री गुरूदीप सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निकट मयूर होटल, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल।	ग्राम चौबाटा, ईड़ा आदि तहसील व जनपद बागेश्वर।	20.40 है0	शासनादेश सं0 5021/77-5-2000-5 (82)/96, दिनांक 12 अक्टूबर, 2000	शासनादेश स0 6095/77-5-2000-5 (35) दिनांक 07 नवम्बर, 2000 पंजीकरण दिनांक	20 वर्ष	2020	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/74/बागे0/खनन/2010-11
स्टोन	मै0 एन0एस0 कारपोरेशन, 22 कैनिंग स्ट्रीट कलकत्ता।	ग्राम झारकोड़, जिला बागेश्वर।	63.75 एकड़ अर्थात 25.79 है0	शासनादेश सं0 4137/एम/अठारह-12, दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 प्रथम नवीनीकरण शासनादेश सं0 3476/18-12-94-5 (208)/92,	शासनादेश सं0 2485/18-12-5 (439)/94,	20 वर्ष	2014	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/73/बागे0/खनन/2010-11

मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, सोपस्टोन एवं नाइमस्टोन	खनन पट्टा हस्तान्तरण सर्वश्री अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लि0, रानीधारा रोड, जिला अल्मोड़ा।	केवल झिरौली ब्लाक में ग्राम झिरौली	452.09 एकड़ में से 131.48 एकड़ अर्थात 53.20 है0 407.93 एकड़ अर्थात 165.08 है0	दिनांक 08–04–1974 खनन पट्टे का नवीकरण शासनादेश सं0 9213/18–12–219/82, दिनांक 15–12–1987 द्वितीय नवीनीकरण शासनादेश सं0 1477/VII-I/304–ख/2002, दिनांक 12 मार्च, 2010	शासनादेश सं0 9213/18–12–219/82, दिनांक 15–12–1987 पंजीकरण दिनांक 25–07–1989	20 वर्ष 20 वर्ष	24–07–2009		शासनादेश सं0 1477/VII-I/304–ख/2002, दिनांक 12 मार्च, 2010 के द्वारा आशय पत्र जारी किया गया है। पट्टा विलेख की कार्यवाही की जा रही है।
सोपस्टोन, मैग्नेसाइट	श्री जगदीश चन्द तिवारी, मै0 कुमायूं मिनरल्स इण्डस्ट्रीज, भवानीगंज, हल्द्वानी, नैनीताल। पट्टाधारक की मृत्यु के उपरान्त श्रीमती नन्दिता तिवारी पत्नी स्व0 श्री जे0सी0 तिवारी, निवासी त्रिरूपति मल्ली बमौरी, हल्द्वानी, नैनीताल।	ग्राम सुनारगांव (काण्डा), तहसील व जिला बागेश्वर।	569 एकड़ अर्थात 230.27 है0	शासनादेश स0 874/एम/18–सी–एच–एम/89/69, दिनांक 09–07–1971 पृथम नवीनीकरण शासनादेश सं0 43 भा0 स0/18–12–92–166/91 दिनांक 08 जून, 1992 द्वितीय नवीनीकरण शासनादेश सं0 1080/VII-I/06/248–ख/2002, दिनांक 03 जुलाई, 2006	पंजीकरण दिनांक 12–07–1972	20 वर्ष 10 वर्ष	11–07–1992	–	मु0ख0/15/बागे0/खनन/2005–06 शासनादेश सं0 1080/VII-I/06/248–ख/2002, दिनांक 03 जुलाई, 2006 के द्वारा द्वितीय नवीनीकरण हेतु आश्य पत्र

38	सापस्टान	श्री प्रताप सिंह गडिया पुत्र श्री हयात सिंह गडिया, निवासी ग्राम किरोली, पोस्ट कापकोटी, जिला बागेश्वर।	ग्राम बडयूला तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर।	7.40 है0	शासनादेश सं0 2030/औ0 वि0/134–ख/2001, दिनांक 18 सितम्बर, 2001		20 वर्ष	2021	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/15/बाग0/खनन /2008–09
39.	सापस्टान	श्री टकचन्द्र कपूर पुत्र श्री हुकम चन्द्र कपूर, निवासी तहसील गढ़, बागेश्वर।	ग्राम बेतोली, तहसील व जनपद बागेश्वर।	1.47 है0	शासनादेश सं0 2012/औ0 वि0/2001, दिनांक 17–10–2001		20 वर्ष	2021	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/02/बाग0/खनन /2010–11
40.	सापस्टान	श्री सचिन तिवारी पुत्र श्री नवीनचन्द्र तिवारी निवासी हल्द्वानी, नैनीताल।	ग्राम जल्धाकोट, तहसील व जिला बागेश्वर।	1.68 एकड़ अर्थात 0.67 है0	शासनादेश सं0 2770/औ0 वि0/75–ख/2001, दिनांक 03 जनवरी, 2002		20 वर्ष	2022	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/71/बाग0/खनन /2006–07
41.	सापस्टान, उपखनिज बोल्डर/ बजरी	श्री जीवन सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह खेतवाल, निवासी ग्राम तुपेड, पोस्ट तुपेड, जिला बागेश्वर।	ग्राम नोगाव, तहसील व जिला बागेश्वर।	5.95 एकड़ अर्थात 2.40 है0	शासनादेश सं0 517/77 –5–2000–5 (5)/95, दिनांक 03 मार्च, 2000	शासनादेश सं0 5831/ 77–5–2000–5 (5)/93, दिनांक 23 अक्टूबर, 2000	20 वर्ष	2020	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/59/बाग0/खनन /2006–07
42.	सापस्टान	श्री गिरीश चन्द्र पटसाली, निवासी ग्राम व पोस्ट चितई, जिला अल्मोड़ा।	ग्राम काण्ड कन्चाल, तहसील व जिला बागेश्वर।	5.40 एकड़ अर्थात 2.18 है0	शासनादेश सं0 4241/18 –11–97–5 (15)/95, दिनांक 24 अक्टूबर, 1997 शासनादेश सं0 922/टप्प 10/59–ख/2003, दिनांक 23 अप्रैल, 2010 के द्वारा स्वीकृत भूमि में से राज्य सरकार की 1.5 एकड़ भूमि पर खनन कार्य निषिद करते हुए पूर्व में शासनादेश सं0 551/औ0वि0/03–59–ख/03, दिनांक 07 नवम्बर, 2003 द्वारा निष्पादित/ पंजीकृत खनन पट्टा विलेख के मानचित्र के परिमार्जन (संशोधन) किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।	शासनादेश सं0 551/ औ0वि0/03–59–ख/ 03, दिनांक 07 नवम्बर, 2003 पंजीकरण 27–11–2003	30 वर्ष	26–11–2034	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/03/बाग0/खनन /2005–06
43	सापस्टान	श्री पंकज भट्ट पुत्र श्री नारायण दत्त भट्ट निवासी दलनल, जिला बागेश्वर।	ग्राम नाली, जगथली,	4.313 है0	शासनादेश सं0 1323/ टप्प 10/ 124–ख/ 2001, दिनांक	शासनादेश सं0 2794/ टप्प10/ 124–ख /	20 वर्ष	–	खनन कार्य हो रहा है।	मु0ख0/ 12/बाग0/मु0 खनि0 इ0/2005–06

		ग्राम आरतोला, पोस्ट मिरतोला, जिला अल्मोड़ा।			04 जून, 2010	2001, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010				
44	सोपस्टोन	श्री भुवेन्द्र सिंह भोयाल, पुत्र श्री इन्द्र सिंह भोयाल, निवासी ग्राम दयाली, पोस्ट सनेती, जिला बागेश्वर।	ग्राम गरसनेती, तहसील कांडा, जिला बागेश्वर।	4.449 है0	शासनादेश सं0 2633/ टप्प 10/234 –ख/ 2010, दिनांक 07 दिसम्बर, 2010	शासनादेश सं0 2855/ टप्प10/234 –ख/ 2010, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 पंजीकरण दिनांक 27–12–2010	20 वर्ष	27–12–2030	खनन कार्य हो रहा है।	मु0ख0/74/बाग0/भू0खनि 0इ0/2005–06
45	सोपस्टोन	श्री मंगल सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी ग्राम ढपटी, तहसील कांडा, जिला बागेश्वर।	ग्राम जसपुर, तहसील कांडा, जिला बागेश्वर।	4.27 है0	शासनादेश सं0 565/ टप्प 10/04–ख/ 2004, दिनांक 19 मार्च, 2010	शासनादेश सं0 2639/ टप्प10/04–ख/ 2004, दिनांक 07 दिसम्बर, 2010	20 वर्ष	09–12–2030	खनन कार्य हो रहा है।	मु0ख0/101/बाग0/भू0 खनि0इ0/2006–07
46	सोपस्टोन	श्रीमती कमला बाफिला पत्नी स्व0 श्री कुन्दन सिंह बाफिला, निवासी बाफिलागांव, पोस्ट सनेती, जिला बागेश्वर।	ग्राम ठाडाईजर, सिरालागांव व रैखोलागांव, तहसील व जिला बागेश्वर।	4.720 है0	शासनादेश सं0 2531/ टप्प 10/42–ख/ 2004, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010	शासनादेश सं0 2950/ टप्प10/42–ख/ 2004, दिनांक 07 जनवरी, 2011	20 वर्ष	–	खनन कार्य हो रहा है।	मु0ख0/25/बाग0/भू0खनि 0इ0/2005–06

47	सोपस्टोन	श्री ठाकुर सिंह गडिया पुत्र श्री मदन सिंह गडिया ग्राम किरोली जनपद बागेश्वर।	ग्राम उडियार पपोली जिला बागेश्वर	4.714 है0	शासनादेश सं0 451/VII-I-II-90 ख/2001 दिनांक 16 मार्च 2011	शासनादेश सं0 632/VII-I-II-90 ख/2001 दिनांक 25 मार्च 2011	20 वर्ष	2031	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/06/बागे0/खनन/2010–11
48	सोपस्टोन	श्री सुरेश गडिया ग्राम सीमा तहसील कपकोट बागेश्वर	ग्राम झाडकोट बागेश्वर	4.217 है0	शासनादेश सं0 450/VII-I-II-220 ख/2007 दिनांक 16 मार्च 2011	शासनादेश सं0 633/VII-I-II-220 ख/2001 दिनांक 25 मार्च 2011	20 वर्ष	2031	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/42/बागे0/खनन/2010–11
49	सोपस्टोन	श्री उमेदसिंह शाही पुत्र श्री भवनानसिंह निवासी ग्राम व पोस्ट असौ जिला बागेश्वर	ग्राम नरगडा जिला बागेश्वर।	4.537 है0	शासनादेश सं0 2650/VII-I-II-19– ख/2007 दिनांक 07जनवरी 2011	शासनादेश सं0 127/VII-I-II-19 ख/2004 दिनांक 04 फरवरी 2011	20 वर्ष	2031	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/05/बागे0/खनन/2010–11
50	सोपस्टोन	श्री इन्द्रलाल पुत्र श्री चम्बाराम निवासी बजरंग आयल बैजनाथ बागेश्वर।	क्षेत्र ग्राम डाम्टी कापडी व लीती	4.330 है0	शासनादेश सं0 94/VII-I-II-163– ख/2007 दिनांक 04–2– 2011	शासनादेश सं0 547/VII-I-II-163 ख/2001 दिनांक 01 फरवरी 2011	20 वर्ष	2031	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/38/बागे0/खनन/2010–11
51	सोपस्टोन	श्री खीमसिंह मेहता।	ग्राम रताईस पपों	4.164है0	शासनादेश सं0 1951/VII-I-II-21– ख/2004 दिनांक 30–8– 2010	शासनादेश सं0 546/VII-I-II-21 ख/2004 दिनांक 05–3–2011	20 वर्ष	2031	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/26/बागे0/खनन/2010–11
52	सोपस्टोन	श्री हरीशचन्द लोहनी पुत्र श्री नन्दाबल्भ लोहनी निवासी	ग्राम रताईस पपों	4.164है0	शासनादेश सं0 1951/VII-I-II-21– ख/2004 दिनांक 30–8– 2010	शासनादेश सं0 546/VII-I-II-21 ख/2004 दिनांक 05–3–2011	20 वर्ष	2031	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/26/बागे0/खनन/2010–11
53	सोपस्टोन	श्री जीवन सिंह खेतवाल पुत्र श्री त्रिलोक सिंह ग्राम तुपेड हाल कठायतबाडा जिला बागेश्वर	ग्राम पपों तहसील व जनपद बागेश्वर	4.933 है0	शासनादेश सं0 1582/VII-I-II-36– ख/2004 दिनांक 25–6– 2010	शासनादेश सं0 548/VII-I-II-36 ख/2004 दिनांक 02–6–2011	20 वर्ष	2031	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/04/बागे0/खनन/2010–11

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

PROFORMA-D

A Consolidated Statement Listing All the Leases Up to 31st March, 2011

जनपद चमोली

Mineral	Name & Address of Lessee	Location of lease (Village, Taluka, Post office, Railway Station, and District)	Lease Area (hects.	Date of Grant of lease (original and subsequent renewals)	Date of execution (original and subsequesnt renewal)	Period (years)	Date of expiry	Status working Non working	विभागीय पत्रावली संख्या एवं टिप्पणी
सोपस्टोन, डोलोमाइट, मेग्नेसाइट	श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व0 श्री बलवन्त सिंह, निवासी ग्राम लिंगड़ी, पोस्ट बोरागाड, तहसील थराली, जनपद चमोली।	ग्राम लिंगडी, तहसील थराली, जिला चमोली।	4.133 है0	शासनादेश सं0 2226 / VII-II-08 / 62--ख / 2001, दिनांक 09 जून, 2008	शासनादेश सं0 2443 / VII-II-08 / 62–ख / 2001, दिनांक 07 जुलाई, 2008 पंजीकरण दिनांक 22–07–2008	20 वर्ष	21–07–2028	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0 / 106 / चमोली / खनन / 2006–07

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

PROFORMA-D

A Consolidated Statement Listing All the Leases Up to 31st March, 2011

जनपद टिहरी गढ़वाल

Mineral	Name & Address of Lessee	Location of lease (Village, Taluka, Post office, Railway Station, and District)	Lease Area (hects.	Date of Grant of lease (original and subsequent renewals)	Date of execution (original and subsequesnt renewal)	Period (years)	Date of expiry	Status working Non working	विभागीय पत्रावली संख्या एवं टिप्पणी
ाइमस्टोन, ोलोमाइट,	मैसर्स दि हिमालयन स्टोन एण्ड लाईम कम्पनी, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड) पार्टनर श्री राकेश अग्रवाल।	ग्राम कुशरेला, जिला टिहरी गढ़वाल।	6.47 हे0	शासनादेश सं0 3333/18-12-96/73, दिनांक 13 जुलाई, 1977	शासनादेश सं0 679/18-12-96/73, दिनांक 19 मार्च, 1980 पंजीकरण दिनांक 02-12-1991	20 वर्ष	01-12-2011	वन विभाग द्वारा विवाद के कारण खनन कार्य बन्द है।	मु0ख0/22/टि0/खनन/2007-08
ाईमस्टोन उपखनिज)	श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री चेत सिंह, निवासी ग्राम कोटी घुड़सालगांव, तहसील धनोल्टी, जिला टिहरी गढवाल।	ग्राम कोटी घुड़सालगांव, जिला टिहरी गढ़वाल।	6.470 हे0	शासनादेश सं0 1801/ऑ0वि0/43-ख/2001, दिनांक 04-08-2001	शासनादेश सं0 2211/ऑ0वि0/43-ख/2001 पंजीकरण दिनांक	15 वर्ष	2016	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का विवाद सम्बन्धी प्रकरण पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 551/1997 सुप्रीम कोर्ट मानेटरिंग कमेटी बनाम जगन्नाथ अरोड़ा में पारित स्थगनदेश के कारण खनन कार्य बन्द है।	उ0ख0/22/टि0/खनन/2007-08
ाईमस्टोन उपखनिज)	श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री हरिसिंह, निवासी ग्राम कोठी घुड़सालगांव, तहसील धनौल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल।	ग्राम कोटी घुड़सालगांव, जिला टिहरी गढ़वाल।	6.704 हे0	शासनादेश सं0 2708/ऑ0वि0/137-ख/2001, दिनांक 05 जनवरी, 2002	शासनादेश सं0 3043/ऑ0वि0/137-ख/2001, दिनांक 05 अप्रैल, 2002, पंजीकरण दिनांक	15 वर्ष	14-04-2017	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का विवाद सम्बन्धी प्रकरण पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 551/1997 सुप्रीम कोर्ट मानेटरिंग कमेटी बनाम	उ0ख0/24/टि0/खनन/2005-06

					15–04–2002			जगन्नाथ अरोड़ा में पारित स्थगनदेश के कारण खनन कार्य बन्द है।	
नाईमस्टान (उपखनिज)	श्रीमती खजानी देवी पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह पुण्डीर, ग्राम व पोस्ट मालदेवता, जिला देहरादून।	ग्राम कोटी घुड़सालगाव, जिला टिहरी गढ़वाल।	8.130 है0	शासनादेश सं0 1518/औ0वि0/65–ख/2001, दिनांक 24–07–2001	शासनादेश सं0 2167/औ0वि0/65–ख/2001, दिनांक 29 अगस्त, 2001, पंजीकरण दिनांक 03–09–2001	10 वर्ष	02–09–2011	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का विवाद सम्बन्धी प्रकरण पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 551/1997 सुप्रीम कोर्ट मानेटरिंग कमेटी बनाम जगन्नाथ अरोड़ा में पारित स्थगनदेश के कारण खनन कार्य बन्द है।	उ0ख0/23/टि0/खनन/2005–06
नाईमस्टान	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सत्यप्रकाश, निवासी 23 धर्मपुर, जिला देहरादून।	ग्राम कुखई, तल्ली/मल्ली, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल।	4.282 है0	शासनादेश सं0 2741/VII-I-07/142–ख/2001, दिनांक 16 जुलाई, 2007	शासनादेश सं0 4835/VII-I-07/142–ख/2001, दिनांक 21 सितम्बर, 2007	20 वर्ष	25–09–2027	वन विभाग द्वारा रास्ता न दिये जाने के कारण खनन कार्य बन्द है।	मु0ख0/23/टि0/खनन/2005–06
नाईमस्टान	श्री कुंवर सिंह भण्डारी, पार्टनर, पर्वतीय मिनरल्स इण्डस्ट्रीज, तपोवन (लक्ष्मण झूला), जिला टिहरी गढ़वाल।	ग्राम कटाल्डी नागणी, जनपद टिहरी गढ़वाल	13 एकड़ अर्थात 5.26 है0	शासनादेश सं0 2372/18–12–94–6 (610)/92, दिनांक 26–08–1994 शासनादेश सं0 483/औ0वि0/30–ख/2001, दिनांक 18–08–2001 के द्वारा खनन पट्टे की अवधि 06 वर्ष से 30 वर्ष विस्तारीकरण किया गया।	शासनादेश सं0 2262/औ0वि0/30–ख/2001, दिनांक 31–08–2001	06 वर्ष खनन पट्टा अवधि 30 वर्ष विस्ता–रीकरण	25–08–2024	वन सरक्षण अधिनियम, 1980 का विवाद सम्बन्धी प्रकरण एवं गॉव वालों की आपत्ति के कारण खनन कार्य बन्द है।	मु0ख0/12/टि0/खनन/2007–08

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

PROFORMA-D

A Consolidated Statement Listing All the Leases Up to 31st March, 2011

जनपद देहरादून।

Mineral	Name & Address of Lessee	Location of lease (Village, Taluka, Post office, Railway Station, and District)	Lease Area (hects.	Date of Grant of lease (original and subsequent renewals)	Date of execution (original and subsequesnt renewal)	Period (years)	Date of expiry	Status working Non working	विभागीय पत्रावली संख्या एवं टिप्पणी
लाइमस्टोन (उपखनिज)	श्री मायाराम चौहान, श्रीमती बामोदेवी, निवासी जीवनगढ़, पोस्ट अम्बाड़ी, देहरादून।	ग्राम लाखामण्डल, तहसील, चकराता, जिला देहरादून।	0.150 हे0	शासनादेश सं0 2981/ औ0 वि0–1/242–ख/ 2002, दिनांक 03 अप्रैल, 2002	शासनादेश सं0 2981/ औ0वि0–1/242–ख/ 2002, दिनांक 20 मई, 2002, पंजीकरण दिनांक	10 वर्ष	2012	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/04/टि0/ खनन/ 2008–09

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

PROFORMA-D

A Consolidated Statement Listing All the Leases Up to 31st March, 2011

जनपद पिथौरागढ़

Mineral	Name & Address of Lessee	Location of lease (Village, Taluka, Post office, Railway Station, and District)	Lease Area (hects.	Date of Grant of lease (original and subsequent renewals)	Date of execution (original and subsequesnt renewal)	Period (yeaars)	Date of expiry	Status working Non working	विभागीय पत्रावली संख्या एवं टिप्पणी
सापस्टोन	श्री सुशांत पन्त पुत्र श्री देवी दत्त पन्त, निवासी ग्राम लोहाकोट, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	ग्राम लोहाकोट, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	4.715 हे0	शासनादेश सं0 1744/सात/2004/196–ख/01, दिनांक 05 अक्टूबर, 2004	शासनादेश सं0 3165/सात/196–ख/04, दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 पंजीकरण दिनांक	20 वर्ष	2024	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/31/पिथौ0/खनन/2010–11
सापस्टोन	श्री भूपेन्द्र सिंह महरा पुत्र श्री किशन सिंह महरा, निवासी ग्राम सिनेमा लाइन, जनपद पिथौरागढ़।	ग्राम चौपाता, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	4.28 एकड़ अर्थात 1.73 हे0	शासनादेश सं0 5480/77–5–99–5 (89)/95, दिनांक 11 जनवरी, 2000	शासनादेश सं0 3888/77–5–2000–5 (89) /95, दिनांक 06 सितम्बर, 2000 पंजीकरण दिनांक	20 वर्ष	2020	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/30/पिथौ0/खनन/2010–11
सापस्टोन	श्री बसंत सिंह सामन्त, पुत्र स्व0 श्री लाल सिंह सामन्त, निवासी देवलथल, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	ग्राम लोहाकोट एवं चौपाता (देवलथल), तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	9.19 एकड़ अर्थात 3.71 हे0	शासनादेश सं0 3960/77–5–2000–449/83, दिनांक 26 अगस्त, 2000	शासनादेश सं0 5859/77–5–2000–449/83, दिनांक 25 अक्टूबर, 2000 पंजीकरण दिनांक	20 वर्ष	2020	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/25/पिथौ0/खनन/2010–11
सापस्टोन	श्री ललित मोहन पंतशाल, निवासी ग्राम चितई, पोस्ट चितई, तहसील व जिला अल्मोड़ा।	ग्राम राईआगर, तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़।	1.41 हे0	शासनादेश सं0 44/सात/13–ख/2004, दिनांक 15 जुलाई, 2004	शासनादेश सं0 3252/सात/13–ख/2004, दिनांक 08 दिसम्बर, 2004	20 वर्ष	2024	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/29/पिथौ0/खनन/2010–11

सोपस्टोन	श्री हरीश चन्द्र जोशी, निवासी ग्राम व पोस्ट भटकटिया, जिला पिथौरागढ़।	ग्राम पुखराड़ा, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	8.30 हे0	शासनादेश सं0 5030/77–5–2000–5 (431)/94, दिनांक 17 अक्टूबर, 2000	शासनादेश सं0 6066/77–5–2000–5 (431) /94, दिनांक 04 नवम्बर, 2000	20 वर्ष	2020	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/24/पिथौ0/खनन/2010–11
सोपस्टोन	श्री हरेन्द्र सिंह मेहरा पुत्र श्री नारायण सिंह मेहरा, निवासी ग्राम व पोस्ट जाडापानी, जिला पिथौरागढ़।	ग्राम बाराआगर, तहसील डीडीहाट	4.445 हे0	शासनादेश सं0 322/सात/15–ख/2004, दिनांक 24 सितम्बर, 2004	शासनादेश सं0 295 /VII-I-09/15–ख /2004, दिनांक 25 फरवरी, 2009	20 वर्ष	2029	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/9/पिथौ0/खनन/2007–08
सोपस्टोन	श्री भगवान सिंह रावल पुत्र श्री धन सिंह रावल, निवासी ग्राम सेंज, पट्टी बैदीबगढ़, तहसील व जिला बागेश्वर। **खनन पट्टा हस्तान्तरण** श्री भगवान सिंह रावल एवं श्री मनोज डांगा, साझेदारी (पार्टनरशिप),	ग्राम सनरखोला गाण, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	4.128 हे0	शासनादेश सं0 3809/VII-I-07/212–ख/2004, दिनांक 07 सितम्बर, 2007 शासनादेश सं0 2234/VII-I /212–ख/04, दिनांक 09 जून, 2008	शासनादेश सं0 5119/ VII-I 07/ 212–ख /2004, दिनांक 26 सितम्बर, 2007 पंजीकरण दिनांक 01–10–2007 शासनादेश सं0 2623/ VII-I /212–ख/04, दिनांक 31 जुलाई, 2008 पंजीकरण दिनांक	20 वर्ष	2027	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/17/पिथौ0/खनन/2005–06
सोपस्टोन / मैग्नेसाईट	मे0 एन0बी0 मिनरल्स कारपोरेशन, अम्बा भवन टकाना रोड, जिला पिथौरागढ़।	ग्राम डन्डु तल्ली सागड़ी, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	46.90 हे0	शासनादेश सं0 1518/18–364 /79, दिनांक 18 मार्च, 1980	शासनादेश सं0 3848/18–12–364 /79, दिनांक 09 जुलाई, 1980 पंजीकरण की दिनांक 14–07–1980	20 वर्ष		खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/06/पिथौ0/खनन/2005–06
सोपस्टोन, मैग्नसाईट, डालोमाईट			4.241 हे0	खनन पट्टे का नवीनीकरण शासनादेश सं0 1738/सात/05 /103–ख/2003, दिनांक 11 अगस्त, 2005	शासनादेश सं0 1871 /VII-I/06/103– ख/2003, दिनांक 23 मई, 2006 पंजीकरण 21–06–2006	20 वर्ष	20–06–2020		

सोपस्टोन	श्री त्रिलोक सिंह मनराल पुत्र श्री नारायण सिंह मनराल, निवासी ग्राम जवाहर ज्योति (दमुवाढूंगा) काठगोदाम, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।	ग्राम भन्याड़ी, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	4.049 है0	शासनादेश सं0 1293/VII-I-09/199-ख/2004, दिनांक 12 अगस्त, 2009	शासनादेश सं0 1514/ VII-I-09/ 199-ख /2004, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 पंजीकरण दिनांक 22-09-2009	20 वर्ष	21-09-2029	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/97/पिथौ0/खनन/2006-07
सोपस्टोन, डोलोमाईट, मैग्नेसाईट	श्री देवेन्द्र कुमार नैनवाल पुत्र श्री हरिकृष्ण नैनवाल, निवासी मकान नं0 5/605, मल्ला गोरखपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल। खनन पट्टा हस्तान्तरण साझेदारी फर्म मे0 के0 एस0 सोपस्टोन माइन्स, (श्री सुशान्त पन्त पुत्र श्री देवीदत्त पन्त, निवासी छोटी मुखानी, रोतेला कालोनी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल एवं श्री मुजीब पुत्र श्री नसीर अहमद वारसी, निवासी रेलवे बाजार, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल) गोरा पडाव, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल।	ग्राम मल्ली सांगडी, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	4.582 है0	शासनादेश सं0 892/VII-I-07/203-ख/2001, दिनांक 15 मई, 2007 पट्टा हस्तान्तरण शासनादेश सं0 426/ VII-I-10/203-ख/2001, दिनांक 25 फरवरी, 2010	शासनादेश सं0 2893/ VII-I-07/ 203-ख /2001, दिनांक 17 जून, 2007 पंजीकरण दिनांक 09-08-2007 शासनादेश सं0 426/ VII-I-10/203-ख /2001, दिनांक 31 मार्च, 2010	20 वर्ष	08-08-2027	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/18/पिथौ0/खनन/2005-06
सोपस्टोन	श्री प्रदीप चन्द्र जोशी पुत्र श्री पी0सी0 जोशी, निवासी ग्राम चिमस्यानौला, जी0आई0सी0 रोड, जिला पिथौरागढ़।	ग्राम जोशीगांव (गोलचौरा), तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	4.303 है0	शासनादेश सं0 3810/ VII-I-07/199-ख /2001, दिनांक 24 सितम्बर, 2007	शासनादेश सं0 5361/ VII-I/07/199-ख /01/07, दिनांक 08 अक्टूबर, 2007 पंजीकरण दिनांक 11-10-2007	20 वर्ष	10-10-2027	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/09/पिथौ0/खनन/2005-06
सोपस्टोन	श्री मोहन चन्द्र शर्मा पुत्र श्री जयकिशन शर्मा, निवासी ग्राम वस्ते, तहसील व जनपद पिथौरागढ़।	ग्राम हराली, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	4.89 है0	शासनादेश सं0 775/ VII-I-10/168-ख/2001, दिनांक 31 मार्च, 2010	शासनादेश सं0 775/ VII-I-10/168-ख /2001, दिनांक 09 अप्रैल, 2010 पंजीकरण दिनांक 13-04-2010	20 वर्ष	12-04-2030	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/88/पिथौ0/खनन/2006-07
सोपस्टोन	सर्व श्री डी0डी0 एसोसियट, प्रो0	ग्राम लाहाकोट, तहसील	3.8 एकड़	शासनादेश सं0	शासनादेश सं0 785/ ओ0वि0	20 वर्ष	23-10-2023	खनन कार्य चल	मु0ख0/06/पिथौ0/

	श्रीमती स्वराज साहनी, निवासी घण्टाकरण, पिथौरागढ़।	डीडीहाट, पिथौरागढ़।	अर्थात 1.53 है0	2605/औ0वि0 /159–ख/2001, दिनांक 12 दिसम्बर, 2001	/03–159–ख / 2001, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 पंजीकरण दिनांक 24–10–2003.			रहा है।	खनन/2008–09
सोपस्टोन	सर्वश्री शिखर मिनरल्स, द्वारा श्री मोहन चन्द्र जोशी पुत्र श्री पीताम्बर जोशी, निवासी ग्राम भरद्वारी, पोस्ट गौलचौरा, जिला पिथौरागढ़।	ग्राम सनरखोला, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	3.91 एकड़ अर्थात 1.58 है0 4.15 है0	शासनादेश सं0 20/औ0वि0/ 222–ख /2001, दिनांक 09 फरवरी, 2004 उक्त शासनादेश के द्वारा स्वीकृत क्षेत्रफल 4.00 है0 से कम होने के कारण संशोधित शासनादेश सं0 3293/सात/04 /222–ख/01, दिनांक 28 दिसम्बर, 2004	शासनादेश सं0 621/सात/ 222–ख/2001, दिनांक 20 मई, 2004 पंजीकरण दिनांक 25 मई, 2004 शासनादेश सं0 4464/ सात/05/222–ख/ 2001, दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 अनुपूरक पट्टा के पंजीकरण दिनांक	20 वर्ष	24–05–2024	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/23/पिथौ0/ खनन/2010–11
सोपस्टोन	श्री पीताम्बर पाण्डे पुत्र श्री भवानी दत्त पाण्डे, निवासी ग्राम हुडेती, पोस्ट एवं जिला पिथौरागढ़। श्रीमती देवकी देवी पाण्डे पत्नी स्व0 श्री पीताम्बर पाण्डे, निवासी ग्राम हुडेती, पोस्ट डिग्रीकालेज, जिला पिथौराढ़।	ग्राम ताली, जिला पिथौरागढ़।	12.94 है0	शासनादेश सं0 181 एम/अठारह–12–एम 447/72, दिनांक 05 फरवरी, 1973 नवीनीकरण शासनादेश सं0 36/18–12–94 –5 (419)/92, दिनांक 01 फरवरी, 1994 शासनादेश सं0 714/ औ0वि0/03–318–ख/03, दिनांक 05 नवम्बर, 2003, द्वारा शासनादेश दिनांक 01 फरवरी, 1994 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित वाक्य " दिनांक 25 सितम्बर, 1993 से 10 वर्ष की अवधि" के स्थान पर "	शासनादेश सं0 3622/ 18–12–एम 447/72, दिनांक 29 सितम्बर, 1973 पंजीकरण दिनांक 03 दिसम्बर, 1973 शासनादेश सं0 885/ औ0वि0/03–318–ख /02, दिनांक 18 नवम्बर, 2003 पंजीकरण दिनांक	20 वर्ष 20 वर्ष	15–07–1993	खनन कार्य चल रहा है।	मु0ख0/28/पिथौ0/ खनन/2010–11

				दिनांक 25 सितम्बर 1993 से 20 वर्ष की अवधि" पढ़ा जाये।					
मेग्नेसाईट	मै0 उड़िसा इन्ड्रस्ट्रीज लि0 लटीकोट, जिला सुन्दरगढ़, उड़िसा खनन पट्टा हस्तान्तरण मेसर्स मेग्नेसाईट एण्ड मिनरल्स लि0 इकाई चण्डाक, जिला पिथौरागढ़। खनन पट्टे का नवीनीकरण	ग्राम धारीगांव ढोगा, जनपद पिथौरागढ़	513.80 एकड़ अर्थात 209.93 है0 (दो खण्डो में) 164.2 है0	शासनादेश सं0 2470/एम/18- एम 112/79, दिनांक 04-11-71 शासनादेश सं0 3749/18-12-384/72, दिनांक 29-07-1980 नवीनीकरण शासनादेश सं0 5846/18-12-90-384/72, दिनांक 19-11-1990	25-01-1974 शासनादेश सं0 4469/ 18-11-95-384/72, दिनांक 27 दिसम्बर, 1992	20 वर्ष 20 वर्ष	24-01-2014	1998 से खनन कार्य बन्द है	मु0ख0/16/पिथौ0/खनन/2009-10
मेग्नेसाईट	मै0 उड़िसा इन्ड्रस्ट्रीज लि0 लटीकोट, जिला सुन्दरगढ़, उड़िसा खनन पट्टा हस्तान्तरण मेसर्स मेग्नेसाईट एण्ड मिनरल्स लि0 इकाई चण्डाक, जिला पिथौरागढ़। खनन पट्टा नवीनीकरण	ग्राम चण्डाक, जिला पिथौरागढ़।	38.00 है0	शासनादेश सं0 4469/18-11-95-384/72, दिनांक 27 दिसम्बर, 1992 शासनादेश सं0 3749/18-12-384/72, दिनांक 29-07-1980 नवीनीकरण शासनादेश सं0 4469/18-11-95-384/72, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995	शासनादेश सं0 4469/ 18-11-95-384/72, दिनांक 27 दिसम्बर, 1992	20 वर्ष 20 वर्ष	24-01-2014	1998 से खनन कार्य बन्द है	मु0ख0/17/पिथौ0/खनन/2009-10

...पस्टोन	श्री केशर सिंह टोलिया, प्रा0 जोहार कामर्शियल सेन्टर। पट्टा हस्तान्तरण मे0 साहनी एण्ड कम्पनी, लि0, निवासी 16/5 सिनेमा लाईन, पिथौरागढ़।	ग्राम तोली तथा पय्यापोडी पिथौरागढ़	12.00 एकड़ अर्थात 4.85 है0	शासनादेश सं0 1110 एम/18–एफ–एम 170/66, दिनांक 18 सितम्बर, 1967 हस्तान्तरण शासनादेश सं0 124/18–12– 170/66, दिनांक 08 जनवरी, 1975 प्रथम नवीनीकरण शासनादेश सं0 1001/एम0/ 6ए, दिनांक 17–09–1976 द्वितीय नवीनीकरण जिला जज, पिथौरागढ़ के आदेश दिनांक 18–03–2004 के द्वारा	निष्पादन दिनांक 29–08–1968 निष्पादन दिनांक 11 अगस्त 1976 दिनांक 29–08–1988 से 28–08–2008 तक	10 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष	28–08–2008	वर्ष 2008 से खनन कार्य बन्द है	मु0ख0/07/पिथौ0/खनन/2010–11 शासन के द्वारा शासनादेश सं0 6773/ 18–12–170/60, दिनांक 14–12–1990 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। जिसको द्वितीय नवीनीकरण जिला जज, पिथौरागढ़ के आदेश दिनांक 18–03–2004 के द्वारा किया गया।
		ग्राम तोली, पिथौरागढ़	4.35 एकड़ अर्थात 1.76 है0						

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
वर्ष 2011–2012 में उत्तराखण्ड राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व का जनपदवार विवरण।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल योग
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	देहरादून	3634609	2939677	1816509	3081663	4911308	4905901	2610181	3076932	4156963	5854509	688228	9686951	53537431
2.	हरिद्वार	18101014	18736774	13264042	7303345	1102872	1271664	3775604	3501298	12596067	17529956	19279996	26311922	142774554
3.	उत्तरकांशी	5489451	1391176	4598262	4289148	3458300	3379626	1873742	1784326	2340576	4033962	1564688	5809808	40013065
4.	टिहरी गढवाल	12528023	803081	4457249	1120032	4576760	3725961	3842601	4792856	3279044	4479461	2881160	14856562	66670858
5.	पौडी गढवाल	10548946	2837773	4004705	3713011	3260647	3031232	5890834	10248487	4900690	5480996	4387503	22802122	85737778
6.	चमोली	2936106	2136496	7281645	4188691	2700097	3693266	3771800	1931561	3220950	2809424	2780083	10094715	44800129
7.	रूद्रप्रयाग	3727814	728476	1051453	967067	1450582	1516177	2227358	1630000	1114298	1690145	1147173	7588171	24838714
8.	पिथौरागढ	3840070	2524399	2865347	5397338	3546080	3076976	4721994	2709517	3335495	3923070	2428507	5597762	43966695
9.	चम्पावत	1051854	2083850	3533793	1374576	1086540	590076	1444365	1259429	3099578	3923070	3849100	7719690	31015921
10	अल्मोडा	3621712	1156763	1435109	4405222	2134914	2302131	3186567	2309236	1534230	1637861	2018470	10395671	36137886
11.	बागेश्वर	18510137	947809	873953	18792130	1985722	2087544	3987421	1834307	1376885	10268172	1383286	5201838	67249204
12.	नैनीताल	3211830	55082317	32837981	1875224	2481059	1692720	2095458	34807092	39117597	81264293	43114826	78057552	387141049
13.	उधमसिंह नगर	7615123	7872285	15811023	4124656	3957280	1297504	2812554	12724270	6891390	6069970	8004880	12999154	90180089
	योग	**105713979**	**99220834**	**89826366**	**73101563**	**38083971**	**32570778**	**42240479**	**82609311**	**86963763**	**148945029**	**99721900**	**22,49,26,562**	**1123924535**